रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 31, 2002/चैत्र 10, 1924
No. 304] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 31, 2002/CHAITRA 10, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2002

सं. 1/2002—2007

का. आ. 349(अ).—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 1.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन अधिनियम 1992) (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के अनुलग्नक में दी गई निर्यात और आयात नीति 2002—2007 अधिसूचित करती है। यह नीति 1 अप्रैल 2002 से लागू होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/एक्जिम पॉलिसी/ए एम 03/नीति-4]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन सचिव

अनुलग्नक

निर्यात और आयात नीति

(1 अप्रैल 2002—31 मार्च 2007)

अध्याय - एक

प्रस्तावना

अवधि

1.1 विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 2002-2007 की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति को अधिसूचित करती है । यह नीति 1 अप्रैल, 2002 से लागू होगी तथा पॉच वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी रहेगी और इसकी अवधि दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि(2002-2007) के साथ समाप्त होगी। तथापि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में कोई संशोधन कर सकती है। ऐसे संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किए जाएंगे ।

अन्तर्वर्ती व्यवस्था

1.2 पूर्व निर्यात/आयात नीतियों के अंतर्गत जारी की गई कोई भी व्यवस्था अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य व्यवस्था जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थी, वह जब तक इस नीति के प्रावधानों में असंगत न हों, लागू रहेगी तथा उन्हें इस नीति के तहत जारी किया माना जाएगा। इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमत पत्र उनमें अनुमत मदों के आयात/निर्यात के लिए मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो ।

1.3 यदि इस नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियिमत किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध से पूर्व स्थापित अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्रति ऐसे निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध से लागू होने की मूल वैधता अवधि के भीतर हो जाए ।

उद्देश्य

1.4 इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) विश्व व्यापार में कम से कम 1% की भागीदारी प्राप्त करने के लिए निर्यात में निरन्तर वृद्धि करना ।

(2) उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्यों तथा पूंजीगत माल को आसानी से उपलब्ध करवाकर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना,

(3) भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं की प्रौद्योगिक क्षमता और कुशलता को बढ़ावा देना और नए रोजगार के अवसर पैदा करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार लाना, गुणवत्ता के अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदण्डों को प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना ।

(4) उपभोक्ताओं को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर बढ़िया उत्पाद उपलब्ध कराना। जिसके साथ-साथ घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना ।

1.5 निर्यात संवर्धन के हित में साझा दृष्टिकोण एवं समर्पण तथा सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन उद्देश्यों को सामान्य रूप से राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी विभागों के समन्वित प्रयासों और विशेषकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए प्राप्त किया जाएगा ।

अध्याय - दो
निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

आयात और निर्यात मुक्त जब तक कि विनियमित न हो

2.1 इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लागू अन्य कानूनों द्वारा जिस सीमा तक विनियमित होते हैं, को छोड़कर निर्यात एवं आयात मुक्त होगा। मदवार निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित "आई टी सी(एच एस)"में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

कानून का अनुपालन

2.2 प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या प्रमाणपत्र या उसे प्रदान अनुमति की शर्तो और उस समय लागू कानून का अनुपालन करना होगा । सभी आयातित माल भी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे ।

नीति की व्याख्या

2.3 आई टी सी(एच एस) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण नामक पुस्तक में किसी मद के वर्गीकरण के संबंध में या इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकर होगा । किसी लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के नीति अनुसार जारी होने के विषय में कोई शंका या प्रश्न उठने पर उन लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति दस्तावेजों को विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

प्रक्रिया

2.4 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग सक्षम अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेशों तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रकिया निर्धारित कर सकता है । ऐसी प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2) और आई.टी.सी.(एच एस) निर्यात और आयात के वर्गीकरणों में सम्मिलित होगी तथा सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशित की जाएगी । उक्त प्रक्रिया को उसी तरीके से समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा ।

नीति/प्रक्रिया से छूट 2.5 इस नीति अथवा प्रक्रिया में ढील प्राप्त करने के लिए इस आधार पर किया गया अनुरोध कि आवेदक को वास्तव में कठिनाई है अथवा नीति या प्रकिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, को महानिदेशक, विदेश व्यापार को आवश्यक ढील के लिए भेजा जा सकता है । उस पर महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो दे सकते हैं महानिदेशक विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति की किसी प्रक्रिया से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं या ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसाकि वह उचित समझे। यदि वह अनुरोध अध्याय-4 के नीति/प्रक्रिया के प्रावधानों के बारे में हो तो ऐसे अनुरोधों पर केवल अग्रिम लाइसेंसिंग समिति से सलाह लेकर ही विचार किया जाए । तथापि अध्याय-4 से भिन्न प्रावधानों के संबधों में ऐसे किसी अनुरोध पर केवल नीति छूट समिति की सलाह लेने के बाद विचार किया जाएगा ।

प्रतिबंध के सिद्धान्त 2.6 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक कदम उठा सकता है ।

(क) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण
(ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण
(ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम ।
(घ) कारागार श्रमिकों का संरक्षण
(ड.) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व मूल्य की राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण ।
(च) सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण ।
(छ) विखंड़नीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण, और
(ज) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साज-सामान के व्यापार की रोकथाम

प्रतिबंधित माल	2.7	कोई भी माल जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित किया गया है, उसका इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।
लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति की शर्तें	2.8	प्रत्येक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के लिए वैध होगा तथा लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति में दी गई शर्तें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी:- 1. माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य, 2. वास्तविक उपयोक्ता शर्त, 3. निर्यात दायित्व, 4. प्राप्त किया जाने वाला मूल्य वर्धन, 5. न्यूनतम निर्यात मूल्य
लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुमति अधिकार नहीं	2.9	कोई व्यक्ति लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति को अधिकारमय नहीं ले सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र देने से इनकार करने या नवीकरण करने का अधिकार होगा ।
जुर्माना	2.10	यदि लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धारक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की किसी शर्त का उल्लघंन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे इस नीति के तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और आदेशों तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है ।
राज्य व्यापार	2.11	कोई माल, जिसका आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रुप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम द्वारा आयात और निर्यात मदों का वर्गीकरण नामक पुस्तक में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है । बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो, तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति दे सकता है । ऐसे माल के सम्बन्ध में, राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार मंजूर किया गया हो, अथवा विशेष रुप से विनियमित किया गया

हो, राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी काई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है । ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद ओर विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे ।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर 2.12 जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा । आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा ।

पड़ौसी देशों के साथ व्यापार 2.13 महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो पड़ौसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों ।

माल लाने-ले-जाने की सुविधा 2.14 भारत के पड़ौसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई संधि के अनुसार विनियमित होगी ।

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार 2.15 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा इस नीति में दिया गया कुछ भी जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरुप नहीं है, लागू नहीं होगा ।

वास्तविक उपयोक्ता शर्त	2.16	पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ, अतिरिक्त पूर्जे, हिस्से पुर्जे उपसाधित्र यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है चाहे वह वास्तविक उपयोक्ता हो अथवा नहीं । तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/ अनुमति पत्र की जरुरत हों, तो केवल वास्तविक उपयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यह शर्त समाप्त न कर दी गई हो ।
पुरानी वस्तुएं	2.17	सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी उन्हें इस नीति के प्रावधानों,आई टी सी(एच एस) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/ अनुमति पत्र के अनुसार आयात किया जा सकता है ।
नमूनों का आयात	2.18	नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे ।
उपहारों का आयात	2.19	इस नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त आयातित हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी । अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी(सी सी पी) की अनुमति डी.जी.एफ.टी. से अपेक्षित होगी।
यात्री के असबाब का आयात	2.20	वास्तविक घरेलू वस्तुएं और निजी सामान को यात्री के निजी सामान के तौर पर आयात किया जा सकता है । ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा इस नीति के अधीन मुक्त रुप से आयात योग्य हैं, का भी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रुप में आयात किया जा सकता है । विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रुप में, उनके पास आए विशिष्ट निर्यात आर्डरों के लिए अपेक्षित ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्टस, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंटस का आयात करने की अनुमति है ।
निर्यात आधार पर आयात	2.21	नया अथवा पुराना पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंट्रेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों उनका सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है ।

विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

2.22 पूंजीगत माल, उपकरण संघटक अतिरिक्त पूर्जे, एक्सेसरीज चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलौजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए उनको किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है ।

विदेश में परियोजनाओं के प्रयुक्त सामान का आयात

2.23 विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बारे परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो ।

खुले समुद्र में बिक्री

2.24 भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री इस नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है ।

लीज फाइनेंसिंग के अधीन आयात

2.25 लीज फाइनेंसिंग के अधीन नई पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

सीमाशुल्क से माल की निकासी

2.26 वह माल जो पहले ही आयातित/शिपड़/पहुंच गया हो लेकिन सीमाशुल्क से उसकी निकासी न हुई हो उस माल को बाद में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के प्रति निकासी की जा सकती है ।

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

2.27 जहॉ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहॉ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहॉं आयातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा । स्वदेशी प्राप्ति पत्र/अनुमति धारक को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ नामजद अधिकारणों से माल प्राप्त करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को प्रस्तुत करना होगा ।

आयात के लिए निजी बांडेड गोदाम

2.28 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारुद तथ खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों में रख सकता है । ऐसी वस्तुओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरुरी हो लाइसेंस के प्रति घरेलू खपत के

लिए जारी किया जा सकता है । ऐसे माल परनिकासी के साथ यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान कियाजाएगा। एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती तो इनका आयातक इन वसतुओं का पुनः निर्यात का सकता है ।

मुक्त निर्यात 2.29 आयात और निर्यात की आई.टी.सी(एच एस) या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के कियाजा सकेगा तथापि, महानिदेशक विदेशव्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी(एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना निर्यात किया जा सकता है ।

नमूनों का निर्यात 2.30 नमूनों के निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाए ।

यात्री सामान का निर्यात 2.31 बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वास्तिवक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है । तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित तौर पर उल्लिखित मदों के लिए खाद्य मदों को छोड़कर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति लेना जरुरी होगा ।

उपहारों नमूनों का निर्यात 2.32 किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में खाद्य मदों सहित 1,00,000/-रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरुप किया जा सकेगा । तथापि, निर्यात की आई टी सी(एच एस) निषेधात्मक सूची की मदों को खाद्य मदों को छोड़कर उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के निर्यात नहीं किया जा सकता ।

अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात 2.33 संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में उसके निर्यात के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7.5 प्रतिशत तक किया जा सकेगा ।

अन्य पार्टी निर्यात

2.34 नीति के तहत पैरा 9.56 में यथापरिभाषित अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी ।

आयातित वस्तुओं का निर्यात

2.35 इस नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी लाइसेंस के उसी रुप में या वास्तव में उसी रुप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते आयात या निर्यात की जाने वाली मद विशेष आयात लाइसेंस या निर्यात की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आयातित मदों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) में आयात की प्रतिबंधात्मक सूची या निर्यात की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो । मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसी वस्तुओं के निर्यात मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति अनुमत होंगे ।

2.36 आई टी सी(एच एस) में निर्यात अथ्वा आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना किया जा सकता है:-

प्रतिस्थापन माल का निर्यात

2.37 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जा सकेगी । प्रतिस्थापन माल निर्यात की निषेधात्मक सूची में नहीं हो ।

मरम्मत किए गए सामान का निर्यात

2.38 निर्यात करते समय कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है । ऐसे सामान को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना और समय-समय पर इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी ।

निर्यात के लिए निजी वाण्डेड गोदाम

2.39 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी वाण्डेड गोदाम की स्थापना की जाए । ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे । अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति

को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते की उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो ।

निर्यात संविदाओं का कोटि

2.40 सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा के वर्ग में रखा जाएगा और निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी । जिन संविदाओं के लिए भुगतान एशियन क्लयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे उन्हें ए सी यू डालर के वर्ग में रखा जाएग । केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है । एक्जिम बैंक भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रति भारतीय रुपयों में निर्यात ठेके और बीजक किए जा सकते हैं ।

निर्यात प्राप्तियाँ की वसूली

2.41 यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थित में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत किए गए आदेशों के प्रावधानों और नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी ।

निर्यात वस्तुओं की मुक्त आवाजाही

2.42 किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मदों के कनसाइनमैंट को किसी कारण रोका/निलम्बित नहीं किया जाएगा । किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता मांग सकता है ।

निर्यात संवर्धन परिषद

2.43 निर्यात संवर्धन परिसदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है । प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची तथा उनका मुख्य कार्य प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई है ।

पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र

2.44 कोई भी व्यक्ति जो आयात निर्यात के लिए (1) लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति आई टी सी(एच एस) में सूचीबद्ध मदों के अतिरिक्त (2) या इस नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र देना होगा अगर उसको अन्यथा इस सम्बन्ध में छूट दी गई है ।

अध्याय - तीन

संवर्धनात्मक उपाय

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3.1 पैरा 1.5 में उल्लिखित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा योगदान देते हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । इस उद्देश्य हेतु वाणिज्य विभाग के वार्षिक योजना में उपयुक्त प्रावधान किए जाएगें ताकि दोहरे मानदण्ड के अनुसार सकल निर्यात विभिन्न राज्यों से निर्यात के विकास की दर को आवंटित किया जा सके । राज्य इस राशि को प्राथमिक मूल ढाचे के विकास हेतु उपयोग करेगा जैसे कि उत्पादन केन्द्रों को पत्तनों के साथ जोड़ने के लिए सड़के बनाना और इनलैण्ड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन्स को स्थापित करना, नये राज्य स्तर के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों के संरचना और मौजूदा जोनों में समन्वय सुविधाओं को बढ़ाना, मूलभूत ढ़ाँचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर यथांअधिसूचित किन्हीं अन्य गतिविधियों में भाग लेना ।

बाजार पहुंचने में पहल

3.2 इस योजना के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक और व्यापार एसोसियेसनों को और निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के प्रतिस्थपार्धात्मक गुण दोषों के आधार पर समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य पात्र हस्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी :-

1) देशी उत्पाद को प्रदर्शित करने वाले दृष्टिकोण के आधार पर किए गए विपणन अध्ययन

2) विपणन अध्ययनों के आधार पर चिह्नित केन्द्रों में शोरुमों और गोदाम व्यवस्था को स्थापित करना ।

3) अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों में भागीदारी

4) चुनिन्दा बाजारों में चिहिन्त उत्पादों को पेश करने हेतु प्रचार मुहिम

5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, सेमिनारों, क्रेताओं विक्रेताओं के सम्मेलनों में भागीदारी

6) चुनिंदा ब्राण्डों का उन्नयन ।

7) चुनिंदा कृषि उत्पादों हेतु यातायात सब्सिडी

8) भेषजीय, जैव प्रोद्योगिकी और कृषि रसायनों हेतु विदेश में उत्पाद पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रभार तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार ।

9) उत्तर पूर्व, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के यूनिटों हेतु इनलैण्ड भाड़ा सब्सिडी ।

10) भारतीय निर्यातकों/व्यापारियों के दौरे के लिए विदेश में भारतीय दूतावासों में "वाणिज्य केन्द्र" स्थापित करना ।

उत्कृष्ठ निर्यात के शहर

3.3 कुछ विशिष्ट भौगोलिक स्थलों के अनेक शहर अच्छे खासे औद्योगिक कलस्टर के रुप में उभरे हैं जहाँ भारत का उत्तम निर्यात होता है । इन औद्योगिक कलस्टरों मुक्त बाजार रुख की दिशा में ऐतिहासिक स्थल बन गए हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता की आम समस्याओं का सामूहिक समाधान करते हैं । कुछ विश्व में ख्याति प्राप्त विनिर्माण कलस्टर बन गए हैं । इन औद्योगिक कलस्टर मदों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनके निर्यात प्रोफाइल को अधिकत्तम किया जा सके और उच्च मूल्य बाजार में जाने के लिए उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता हो सके । ऐसे अनेक औद्योगिक समूहों वाले शहर, अपने उत्पादों का बउ हिस्सा निर्यात कर रहे हैं तो विश्व स्तरका है उदाहरण के लिए त्रिरुपुर, ऊनी कम्बल के लिए पानीपत, ऊनी कपड़ों के लिए लुधियाना जैसे औद्योगिक कलस्टर वाले शहर के रुप में माने जाने की शुरुआत की गई है । जो निम्नलिखित लाभों के हकदार होंगे:-

इन क्षेत्रों के सामान्य सेवा प्रदायक ई.पी.सी.जी. स्कीम की सुविधा हेतु हकदार होंगे । यूनिटों की मान्यता प्राप्त एशोसियेशन फोकस्ड तकनीकी सेवाओं के निर्माण हेतु पैराग्राफ 3.2 की बाजार पहुंच पहल स्कीम के अन्तर्गत धन प्राप्त करने में समर्थ होंगी । इसके अलावा ऐसे क्षेत्र पैरा 3.1 में उल्लिखित राज्यों को केन्द्रीय सहायता की स्कीम से चिन्हित महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं हेतु

सहायता, प्राथमिकता आधार पर प्राप्त करेंगे । अधिसूचित क्षेत्रों की ये यूनिटें अपनी इच्छा अनुसार सभी एग्जिम नीति स्कीमों का लाभ उठा सकती हैं और इन स्कीमों के प्रावधान कुछ सीमा तक छूट प्राप्त होंगे जहाँ तक इन यूनिटों के बारे में इस पैरे में व्यवस्था की गई है ।

कुटीर और हस्तशिल्प क्षेत्र पर विशेष ध्यान

3.4 लघु उद्योग क्षेत्र और कुटीर व हस्तशिल्प क्षेत्र देश के कुल निर्यात में आधे से अधिक योगदान दे रहा है । कुटीर और हस्तशिल्प क्षेत्र जो अधिकांशतः कारीगर और ग्रामीण लोगों को रोजगार देता है इस प्रयास में महत्पूर्ण योगदार देता है । इस क्षेत्र के निर्यात निष्पादन की मान्यता हेतु तथा अपनी प्रतिस्प्रधात्मका बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएगें :-

1. इस क्षेत्र की यूनिट, इस नीति के पैरा 3.2 में उक्त बाजार पहुंच पहले स्कीम से धुन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी । इस क्षेत्र हेतु धनराशियों को बाजार पहुंच पहल स्कीम में निर्धारित किया जाएंगा । अन्य गतिविधियों के साथ-साथ पूर्ण प्रदर्शनी हेतु अपनी वैवसाइट विकसित करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा ।

2. ई.पी.सी.जी. स्कीम के अन्तर्गत इस नीति के पैरा 5.5(2) में यथाउल्लिखित निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखना इन यूनिटों के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

3. ये यूनिटें इस नीति के पैरा 3.7.2 के अनुसार विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये के निम्न औसत निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर निर्यात सदन स्तर के लाभ के लिए हकदार होंगे, और

4. हस्तशिल्प क्षेत्र की यूनिटें, अपने निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के तीन प्रतिशत तक विनिर्दिष्ट मदों के शुल्क मुक्त आयात हेतु हकदार होंगी ।

कृर्षि निर्यात क्षेत्र (ए ई जेड)

3.5.1 देश से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और निरन्तर रुपसे कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भौगोलिक दृष्टि से निकतम क्षेत्र से विशिष्ट उत्पादों के सम्पूर्ण विकास हेतु कृर्षि निर्यात जोन स्थापित किए जाएं ।

3.5.2 कृषि निर्यात जोन का राज्य सरकार द्वारा पत्ता लगाया जाएगा, जो इन जोनों में शीघ्र सुपुर्दगी के लिए सभी राज्य सरकारी एजेंन्सियों, राज्य कृर्षि विश्वविद्यालयों और केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों और एजेंन्सियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज तैयार करेगी ।

3.5.3 इन सेवाओं में बढ़िया निवेशों/पूर्व पश्च कटाई ट्रीटमेंट और कार्यों, पार संरक्षण, संसाधन, पैकेजिंग, स्टोरेज और अनुसंघान और विकास आदि को शामिल किया जाएगा । इन निर्यातों की सुगमता हेतु राज्य सरकारों क प्रयासों को एपीड़ा अपनी स्कीमों और प्रबंधों को प्रदान करेगी ।

3.5.4 कृर्षि निर्यात जोन के यूनिट संबंधित योजनाओं के अनुसार वस्तुओं के निर्यात के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं पाने के पात्र होंगे ।

ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता

3.6.1 भारत सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें। केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करेगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

3.6.2 केन्द्रीय सरकार,राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में,विशेषकर छोटे पैमाने और हस्तशिल्प क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

परीक्षण गृह

3.6.3 केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर के स्तर का बनाने के लिए उनके आधनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी ।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/विवाद

3.6.4 विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप-समिति द्वारा की जाएगी। गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु मार्ग निर्देश, विशेषतः और ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, सामान्यतः, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-37 में दिए गए हैं ।

3.6.5 यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आ जाती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो (1) किसी विदेश के साथ भारत के व्यापार संबंधों; (2) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकर हो ; (3) जिससे देश की बदनामी हुई हो अथवा उसके माल की प्रतिष्ठा घटी हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयतक के विरूद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते।

स्तर प्रमाणपत्र

3.7.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातोन्मुखी एकक (ई ओ यू)/निर्यात संसाधन जौन (ई पी जेड)/विशेष आर्थिक जौन (एस ई जेड)/कृषि निर्यात जौन (ई पी जेड)/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनॉलॉजी पार्क (ई एच टी 'पी)/साफ्वेयर तक्नालॉजी पार्क (एस टी पी) में स्थित हैं, वे ऐसी मान्यता के हकदार हैं ।

निर्यात निष्पादन स्तर

3.7.2 आवेदक को निर्धारित औसत निर्यात निष्पादन स्तर प्राप्त करने की अपेक्षा है ।

श्रेणी	पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत (एफ ओ आर)/एफ ओ आर (रुपयों में)
निर्यात सदन	15 करोड़
व्यापार सदन	100 करोड़
स्टार व्यापार सदन	500 करोड़
सुपर स्टार व्यापार सदन	2000 करोड़

टिप्पणी :-

1. लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र के यूनिट/के वी आई सी या के वी आई बी के साथ पंजीकृत यूनिट/पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम ओर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिट/हस्तकरघा, हस्त शिल्प, हाथ से बुना कालीन, रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा "स्वर्ण स्तर" वाले निर्यातक पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 5 करोड़ रुपये होने पवर निर्यात सदन स्तर के लिए हकदार हो जाएगा । निर्यात सदन स्तर प्राप्त करने के लिए यही प्रारम्भिक सीमा सेवा निर्यातकों और कृषि निर्यातकों (आनाज से अन्य) पर लागू होगी ।

2. मान्यता के प्रयोजन के लिए पुनः निर्यात आधार पर किया गया निर्यात नहीं गिना जाएगा ।

3. मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में गिना जाएगा । इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के अपनी सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर होने चाहिए ।

स्तरधारकों हेतु विशेष नीतिगत पैकेज	3.7.2.1	स्तरधारक निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाओं हेतु हकदार होंगे :- 1) पूर्णतः बेतरतीब आधार पर जांच के मद्दे स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति और सीमाशुल्क निकासी । 2) तरजीह पर निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण 3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार मध्यम और दीर्घ कालीन पूंजीगत आवश्यकता हेतु प्राथमिकता-वित्त पोषण । 4) बैकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य मोल-तोल से छूट, बैकिंग चैनलों से रुपया भेजना जारी रहेगा । 5) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा, 6) प्रत्यावर्तन अवधि को 80 दिन से 360 दिन तक करना ।

वैधता अवधि	3.7.3	1.4.2002 को या उसके बादजारी अथवा नवीकृत सभी स्तर प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होंगे । इस अवधि के दौरान आवेदक जब तक अन्य विनिदिष्ट न हो 31.3.2007 तक ऐसी मान्यता की मंजूरी कि लिए आवेदन कर सकता है । ऐसे प्रमाणपत्र की समाप्ति पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा-निर्धारित अवधि के भीतर स्तर प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा । उक्त अवधि के दौरान स्तर-धारक

		आम सुविधाओं और लाभों के लिए दावा करने का हकदार होता है।
अंतवर्ती व्यवस्था	3.7.4	31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले स्तर प्रमाणपत्रों की तारीख को 31 मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा । तथापि वर्ष 2003-04 के लिए नवीकरण की मंजूरी नीति में निर्धारित प्रारम्भिक सीमा के 75 प्रतिशत प्राप्त करने पर ही दी जाएगी । फिर भी नया स्तर प्रमाण-पत्र, नीति में निर्धारित प्रारम्भिक सीमा प्राप्त करने पर मंजूर किया जाएगा ।

अध्याय - चार

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम

शुल्क मुक्त/ वापसी स्कीम

4.1 शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक निविष्टियों का पहले आयात किया जाता है। शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क की निर्यात के पश्चातछूट/वापसी की जाती है । डी एफ आर सी में (क) डी एफ आर सी और (ख) डी ई पी बी शामिल हैं । स्कीम निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निवेशों पर आयात प्रभारों की वापसी की अनुमति देती है (अपशिष्ट हेतु सामान्य अनुमति देते हुए) ।

अग्रिम लाइसेंस

4.1.1 निर्यात उत्पाद अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए वास्तव में शामिल की जाने वाली निविष्टियों के आयात की अनुमति देने के लिए शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, ईंधन, तेल,ऊर्जा, कैटालिस्ट आदि जिनकी खपत निर्यात उत्पाद के लिए उपयोग की जाती है, जारी किया जा सकता है :-

(क) वास्तविक निर्यात :- निर्यात उत्पाद हेतु आवश्यक निवेशों के आयात हेतु सहायक विनिर्माता से बंधे विनिर्माता निर्यातक अथवा व्यापारी निर्यातक को वास्तविक निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

(ख) अन्तरवर्ती आपूर्ति :- अन्य अग्रिम लाइसेंसधारक अंतिम मूल निर्यातक/ मान्य निर्यातक को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए अग्रिम के विनिर्माण में आवश्यक निविष्टियों के आयात के लिए विनिर्माता-निर्यातक लाइसेंस को अन्तरवर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

(ग) मान्य निर्यात :- नीति के पैरा 8.2 (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ) और और (ज) में उल्लिखित वर्गों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में आवययक निविष्टियों को आयात हेतु मुख्य ठेकेदार को मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

इसके अलावा, नीति के पैरा 8.2 (घ), (ड.), (च), (छ) और (ज) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में ऐसी परियोजना के मुख्य ठेकेदार के उप-ठेकेदार द्वारामान्य निर्यात के लिए भी अग्रिम लाइससेंस का लाभ उठाया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र

संघ अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्य क्रम के अन्तर्गत अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों को की जाने वाली आपूर्तियों और विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के लिए भी मान्य निर्यात हेतु ऐसा लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

4.1.2 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे पैरा 4.1.1 में यथानिर्धारित निवेशों के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है । ऐसे लाइसेंस (मान्य निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस के अलावा) मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, से छूट प्राप्त होंगे । तथापि, मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस केवल मूल सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त रहेगा ।

4.1.3 ऐसे प्रमाणपत्र और/अथवा उनके तहत आयातित माल निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।

4.1.4 सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ अग्रिम लाइसेंस (मान्य निर्यातों और अन्तरवर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस) जारी किया जा सकता है । तथापि, ऐसा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथानिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा ।

4.1.5 प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख को प्रभावी प्रक्रिया और नीति के अनुसार अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाएगा जो यथानिर्दिष्ट समयबद्ध निर्यात दायित्व की मूर्ति के प्रति प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख को प्रभावी होगा ।

4.1.6 अग्रिम लाइसेंस की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ निर्यातक को कुछ निवेशों की निशुल्क आपूर्ति की जाती है । ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु, निशुल्क निवेशों के नोशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निवेशों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

निर्यात दायित्व

4.1.7 अग्रिम लाइसेंस के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि जो प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 में उल्लिखित अनुसार होंगी।

अग्रिम रिलीज आदेश

4.1.8 अग्रिम लाइसेंसधारक (अन्तर्वर्ती आपूर्तिकर्त्ता के लिए अग्रिम लाइसेंस को छोडकर और डी एफ आर सी धारक जो सीधे आयात के बदलने स्वदेशी स्त्रोंतों से सरणीबद्ध अभिकरणों/ ई ओ यू/ ई पी जैड/ ई एच टी पी/ एस. टी. पी. एस. ई. जैड यूनिटों से निविष्टियां प्राप्त करना

चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेशों के प्रति विदेशी मुद्रा/भारतीय रूपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी मामले में लाइसेंस सीधे आयात के लिए अमान्य हो जाएगा तथा अग्रिम रिलीज आदेश जारी किया जाएगा जिसमें आपूर्तिकर्त्ता मान्य निर्यात का हकदार हो जाएगा । डी एफ आर सी का लाइसेंस का स्थानान्तरणकर्ता भी ए. आर. ओ. सुविधा हेतु पात्र होगा ।

बैंक टू बैंक ऋण का अन्तर्देशीय-पत्र

4.1.9 अग्रिम लाइसेंसधारक(अग्रिम अन्तरवर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंसधारक के अलावा) और डी एफ आर सी धारक अग्रिम रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बजाय पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है ।

निषिद्ध मदें

4.1.10 इस स्कीम के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के तहत आई टी सी एच एस में उल्लिखित आयातों का निषिद्ध मदों का आयात नहीं किया जाएगा ।

निर्यात नीति का अनुपालन

4.1.11 पूर्व आयात शर्त के साथ वास्तविक निर्यात हेतु जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत विशेष निर्यात लाइसेंस के बिना आई टी सी एच एस में उल्लिखित निर्यातों का प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, लाइसेंसधारक को स्वदेशी निवेशों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी तथा निर्यात उत्पाद को केवल अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित निवेशों में से विनिर्मित किया जाएगा

शुल्क अप्रमाणीकरण स्कीम के अन्तर्गत निर्यातित वस्तुओं का पुनःआयात

4.1.12 अग्रिम लाइसेंस/शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यातित वस्तुओं को राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के मद्दे निर्यातित मात्रा के बड़े हिस्से को पुनः आयात किया जा सकता है ।

शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

4.1.13 अग्रिम लाइसेंस अन्तरवर्ती आपूर्तियों के अलावा निर्यात वस्तुओं में प्रयुक्त कोई भी शुल्क प्रस्त सामग्री वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार शुल्क वापसी उपलब्ध होगी । तथापि, डी ई ई सी में यथाउल्लिखित शुल्क प्रदत्त सामग्रियों को ही शुल्क वापसी दी जाएगी ।

मूल्य परिवर्धन

4.1.14 इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मूल्य परिवर्धन निम्नानुसार होगाः

$$\text{वी ए} = \frac{\text{ए बी}}{\text{बी}} \times 100, \text{ जहाँ}$$

वी ए मूल्य परिवर्धन है

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी)

4.2 वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए व्यापारी-निर्यातक अथवा विनिर्माता-निर्यातक अथवा विनिर्माता-निर्याति मूल सीमाशुल्क, अधिभार और विशेष अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है । तथापि, ऐसे आयात, आयात के समय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान के मद्दे किए जाऐगे ।

4.2.1 शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र 33 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संवर्धन के मद्दे होगा ।

4.2.2 उस निर्यात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है जिसके लिए भुगतान अपरिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया गया हो । तथापि,ऐसा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथानिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा ।

4.2.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित सिओनस के अन्तर्गत शामिल केवल निर्यात उत्पादों के संबंध में शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे । तथापि सिओनस जो वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन है या जहाँ आयात की पूर्व शर्त सहित निविष्टि की अनुमति है । या जहाँ प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 के मानदण्ड में एसेटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रीन और सेयुडो एफेड्रीन के आयात की अनुमति है के संबंध में डी एफ आर सी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा ।

4.2.4 सिओन के अनुसार निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे जिनकी गुणवत्ता, तकनीकी विशिष्टताएं और विशेष विवरण वही होंगे जो अंतिम उत्पादप्रयुक्त किए गए हों तथा शिपिंग बिलों में उल्लिखित हों । ऐसे लाइसेंसों की वैधता 18 महीने होगी'। डी. एफ. आर. सी. और / या इसके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रुप से स्थानान्तरित की जाएगी ।

4.2.5 निर्यात उत्पाद, जो परिवर्तित वैट के लिए पात्र हैं, सेनवेट ऋण के लिए पात्र होंगे । तथापि, स्कीम के अन्तर्गत गैर-उत्पाद शुल्क योग्य, गैर-केन्द्रीय वैट योग्य उत्पाद के समय अदा किए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क के बदले में निर्यात के समय शुल्क वापसी के पात्र होंगे ।

4.2.6 **शुल्क वापसी निदेशालय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अखिल उद्योग ब्रांड दर के अनुसार निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त किसी भी सामग्री जिसपर शुल्क अदा किया गया हो चाहे आयातित हो अथवा स्वदेशी, के संबंध में** निर्यातक **शुल्क वापसी लाभों के लिए पात्र होंगे । तथापि, शुल्क वापसी उन सामग्रियों पर दी जाएगी जिन पर शुल्क दिया गया हो और सिओन के अन्तर्गत न आती हों ।**

पुनः निर्यात के लिए जाबिंग मरम्मत आदि

4.2.7 **राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार जो माल आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित है लेकिन पैराग्राफ 4.1.1 में निःशुल्क आपूर्ति की शर्तों पर निषिद्ध मद नहीं है जाबिंग प्रयोजन के लिए उसका लाइसेंस के बिना आयात के अनुमति दी जा सकती है ।**

शुल्क पात्रता पास बुक स्कीम

4.3 लाइसेंसिंग रूट के माध्यम से न जाने के इच्छुक निर्यातकों के लिए डी ई पी बी के तहत वैकल्पिक सुविधा दी जाती है । शुल्क छूट पासबुक स्कीम का उद्देश्य है निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू मूल सीमाशुल्क को अप्रभावी करना । निर्यात उत्पाद के अधीन शुल्क ऋण को प्रदान करने के माध्यम से अप्रभावीकरण की व्यवस्था की जाएगी ।

4.3.1 शुल्क वापसी ऋण प्रमाणपत्र डी ई पी बी के अधीन निर्यातक अपनी ऋण की पात्रता के कारण मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशता का दावा करने का पात्र होगा । कच्चे माल, अन्तरवर्तियों, संघटकों, कलपूर्जों, पैकेजिंग सामग्री आदि के आयात हेतु क्रेडिट ऐसे उत्पादों और दर के लिए उपलब्ध होगा जो इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार महानिदेशालय उल्लिखित दरों पर उपलब्ध होगा जो कि सार्वजनिक सूचना के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट किए गए हों ।

4.3.2 डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नकद करने का विकल्प होगा ।

वैधता

4.3.3 डी ई पी बी, इसके जारी होने की तारीख से 12 माह की अवधि के लिए वैध होगा ।

हस्तांतरणीयता 4.3.4 निर्यातोपरान्त आधार पर डी ई पी बी और/ अथवा इसके प्रति आयातित मद्दे मुक्त हस्तांतरणीय हैं । तथापि, आयात के लिए डी ई पी बी का हस्तांतरण डी ई पी बी में होगा जो विनिर्दिष्ट पत्तन पर वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया है। तथापि, अन्य पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई टी आर ए अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाएगी ।

शुल्क वापसी उपयुक्तता 4.3.5 डी. ई. पी. बी. के अधीन किए गए निर्यात शुल्क वापसी के लिए का लागू होना हकदार नहीं होगें । डी. ई. पी. बी अधीन निविष्टियों पर नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवैट मोडवैट क्रेडिट या शुल्क वापरी के रूप में समायोजित किया जाएगा । तथापि, जहां अतिरिक्त सीमा-शुल्क को डी ई पी बी प्रमाणपत्र से समायोजित किया गया हो, सेनवैट/ शुल्क वापसी का लाभ अनुमत नहीं होगा ।

रत्न और आभूषण के लिए योजनाएं 4.4 रत्न और आभूषण निर्यातक इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस (आर ई पी) हीरा अग्रदाय लाइसेंस प्राप्त करके अपने निवेशों का आयात कर सकते हैं ।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस 4.4.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 26 में सूचीबद्ध रत्न और आभूषण उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाने के पात्र होंगे । हीरा अग्रदाय लाइसेंसों के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए किया गया निर्यात इस लाभ के लिए पात्र नहीं होगा । प्रतिपूर्ति लाइसेंस, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4.80 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सादे /जटित आभूषणों हेतु अथवा उपभोज्यों के आयात के लिए भी जारी किया जा सकता है ।

प्रमाणन ग्रेडिंग के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हीरों का निर्यात 4.4.2 कम से कम तीन वर्षों का निर्यात अनुभव रखने वाले और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक औसत कारोबार करने वाले रत्न और आभूषणों के निर्यातकों प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रयोग शालाओं/एजेन्सियों द्वारा निर्धारित प्रमाणन/ग्रेडिंग प्रयोजन के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, प्रत्येक वजन 0.50 कैरिट और उससे अधिक के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते पुनः आयात के

समय बिना किसी आयात शुल्क के भुगतान की अभिकरणों से प्रमाण पत्र/ग्रेडिंग रिपोर्टों सहित पुनः आयात किया जाएगा ।

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों के लिए योजनाएं

4.4.3 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, प्लेटिनम, चांदी, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं ।

नामित एजेंसियां

4.4.4 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों और उनकी वस्तुओं की स्कीमों का लाभ उठाने वाला निर्यातक नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकता है । - नामित एजेंसियां ये हैं- एम एम टी सी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी), और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक को रिफाइनिंग के लिए गोल्ड स्क्रैप का निर्यात करने तथा स्टैंडर्ड गोल्ड बार्स के रूप में आयात करने की अनुमति है ।

निर्यात की मदें

4.4.5 निम्नलिखित मदों का यदि निर्यात किया जाता है तो वे इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधाओं के लिए पात्र होंगी ।

(क) 8 कैरेट या अधिक सोना वाले सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं)

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले आंशिक रूप से संसाधित जेवरात सहित चांदी के जेवरात और वस्तुएं इसमें मैडल और सिक्के शामिल है (इनमें वैध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं है ।) और

(ग) भार के रुप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनिपम वाले जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुऐं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल है (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं) ।

मूल्य परिवर्धन 4.4.6 **मूल्य परिवर्धन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार होगी ।**

वेस्टेज मानदंड 4.4.7 **सोने/चांदी/प्लेटिनम जेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा वेस्टेज प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी ।**

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति के प्रति 4.4.8 **जहाँ निर्यात आदेश नामित एंजेसी/स्तर धारियों को दिया जाता है वहां विदेशी क्रेता को विनिर्माण और निर्यात के लिए प्लेटिनम/ निर्यात स्वर्ण/चांदी/एलॉय फाइंडिंग्स और चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की माउंटिंग को अग्रिम और मुक्त रूप में आपूर्ति कर सकता है । नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियां या स्तरधारियों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है ।** फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा ।

प्रदर्शनियों/निर्यात सवंर्धन दौरों/ब्रान्डेड आभूषणों के माध्यम से

4.4.9 वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन से नामित एजेंसियां और उनके सहयोगी तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी. जे. ई. पी. सी) के अनुमोदन से अन्यों द्वारा विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग निर्यात लेने के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरातों और उनकी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है सोना/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों कीमती,अर्ध कीमती पत्थरों, मनके और वस्तुओं के व्यक्तिगत कैरेज और ब्रांडेड आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति होगी । यह निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगा ।

नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यातें

4.4.10 निर्यातक,इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादो के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है ।

अग्रिम लाइसेंस के प्रति निर्यात

4.4.11 निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता है ।

(क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स ।

(ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।

(ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो ।

4.4.12 ऐसे **लाइसेंसों में** नियात दाय[illegible] शर्त **रहेगी जिसे इस संबंध में** विनिर्दिष्ट **प्रक्रिया के अनुसार** पूर[illegible]शित **होगा** ।

अग्रिम लाइसेंसधारक इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं ।

रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस

4.4.13 नीति के पैरा 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, और 4.4.11 में दिए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है । सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे लाइसेंसों का मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। जड़ित स्वर्णा/चांदी प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, अनुमेय वेस्टेज समेत स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी पर मूल्य परिवर्धन का हिसाब लगाने के बाद, निर्यातित मदों में उपयुक्त जडितों के मूल्य को ध्यान में रखकर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य निर्धारित किया जाएगा । ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे ।

रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद

4.4.14 प्रतिपूर्ति का पैमाना और आयात की प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 26क के अनुसार निर्धारित होगी ।

निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिक तौर पर ले जाना

4.4.15 **विदेश जाने** वाले यात्रियो द्वारा रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सल तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को, प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति होगी ।

अध्याय - पाँच

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

ई.पी.सी.जी. स्कीम

5.1 कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम एस के 5/सी के डी समेत नई पूंजीगत वस्तुओं का 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के आधार पर इस योजना के तहत आयात किया जा सकता है । बशर्ते कि लाइसेंस के जारी होने की तिथि के 8 वर्षों के ऊपर पूंजीगत माल के 5 गुणा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए ।

तथापि 100 करोड़ या इससे अधिक का ई पी सी जी लाइसेंस होने पर निर्यात दायित्व 12 वर्षों से अधिक की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा।

जिग्स फिक्चर डाइज माउल्डस और पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 20 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों का आयात किया जा सकता है । लाइसेंसधारक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के एसेम्बल या विनिर्माण हेतु ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है ।

पात्रता

5.2 कीम के अंतर्गत विनिर्माता(ओं) सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता, सहायक विनिर्माता(ओं) और सेवा प्रदान कर्त्ताओं से जुड़े व्यापारी निर्यातक पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र हैं ।

पूंजीगत माल के आयात की शर्त

5.3 स्कीम के अधीन पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा ।

निर्यात दायित्व

5.4 स्कीम के अन्तर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

5.5 (1) स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तुओं के नियात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा उन्हीं वतुओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व भी पूरा किया जा सकता है जिन्हें लाइसेंस धारक/विनिर्माता सहायक विनिर्माता (ओं) विक्रेता(ओं) की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों में विनिर्मित अथवा उत्पादित किया गया है । जिसके लिए ई पी सी जी लाइसेंस प्राप्त किया गया है ।

तथापि, यदि निर्यातक विनिर्मित वस्तुओं को और अधिक संसाधित करके मूल्य बढ़ाता है तो निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा ।

(2) स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व अग्रिम लाइसेंस, डी एफ आर सी, डी ई पी बी या ड्रा बैक योजना के अधीन समान उत्पाद के लिए निर्यात दायित्व को छोड़कर आयातक द्वारा लिए गए किसी अनय निर्यात दायित्व के अतिरिक्त होगा । निर्यात, दायित्व विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए उसी उत्पाद और समान उत्पाद प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में बढाए गए श्रेणियों को छोड़कर के निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा ।

स्वदेशी रुप से पूंजीगत माल को प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.6 ई पी सी जी लाइसेंस धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं आयात करने की बजाए इन्हें घरेलू निर्माता से प्राप्त कर सकता है।ई पी सी जी लाइसेंसधारक को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला घरेलू विनिर्माता नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा ।

5.7 ई पी सी जी लाइसेंस धारक और घरेलू विनिर्माता के बीच पक्के करार के मामले में, घरेलू निर्माता उक्त पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक संघटकों के आयात हेतु स्कीम के तहत अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है ।

घरेलू विनिर्माता ई पी सी जी लाइसेंस-धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति के बाद संघटकों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है । तथापि, ई पी सी जी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व को वास्तव में उपयोग किए गए लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के संदर्भ में गिना जाएगा ।

5.8 कृषि निर्यात क्षेत्रों में सेवा प्रदात्ताओं को उपलब्ध करवाए गए कृषि निर्यात क्षेत्रों के भीतर पूंजीगत माल को हटाने या दूसरी जगह ले जाने की सुविधा होगी । वे ऐसे कार्यकलापों का सही रिकार्ड रखेंगे तथापि लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे उपकरण बेचे या ठेके पर नहीं किए जाएगें ।

अध्याय - छः

निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) निर्यात संसाधन जोन की यूनिटे (ई पी जैड) इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिटें (ई एच टी पी) और साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिटें (एस टी पी)

पात्रता

6.1 अपने सारे उत्पादन और सेवाओं को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट इ. ओ. यू. स्कीम, निर्यात संसाधन क्षेत्र ई पी जैड स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेकनोलोजी पार्क ई एच टी पी स्कीम या साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क एस टी पी योजना के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं । ऐसी यूनिटें सोना/चांदी प्लेटिनम आभूषण और उनके सामान के निर्माण सहित विनिर्माण, सेवाएं, ट्रेडिंग, मरम्मत, री मेकिंग री कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग कृषि , कृषि प्रसंस्करण सहित जलचर पालन, पशुपालन, जीव प्रोद्योगिकी पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हो सकती हैं और निर्यात तथा आयात मदों के आई टी सी एच एस वर्गीकरण में निर्यात की निषिद्ध मदों के रूप में उल्लिखत वस्तुओं के अलावा सभी उत्पादों का निर्यात कर सकती है । उर्जा के सृजन/वितरण के लिए यूनिट ई पी जैड में भी स्थापित की जाएगी । व्यापारी यूनिट के लिए अनुमति नहीं होगी ।

निर्यात तथा माल की आयातीयता

6.2(क) ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट कृषि उत्पाद आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, सब-एसैम्बलीज और घटक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है । ये निर्यात प्रक्रिया से व्युतपन्न सह उत्पाद, रिजेक्टस, अपशिष्ट स्क्रैप का निर्यात भी कर सकती है ।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की संसाधन यूनिट/ ई एच टी पी/ एस टी पी यूनिट उपर्युक्त पैराग्राफ 6.1 में यथा परिभाषित या उससे संबंधित गतिविधियों के लिए अपेक्षित नीति में यथा परिभाषित पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है, बशर्ते कि वे निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में आयात की निषिद्ध मदें न हों । यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी।

(ग) ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें निर्यात आयात नीति के तहत स्थापित डी टी ए में बॉण्डेड वेयर हाउस और भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्दशनियों से अपने कार्यकलापों या इससे संबंधित मामलो के लिए अपेक्षित वस्तुओं को शुल्क वस्तुओं को शुल्क मुक्त प्राप्त कर सकती हैं ।

(ध) एस टी पी/ई एच टी पी/ ई पी जेड यूनिटें एस टी पी/ई एच टी पी/ई पी जेड में साफ्टवेयर विकास एककों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु सभी प्रकार के वस्तुओं का शुल्क मुक्त रूप से आयात कर सकती हैं ।

(ड.) कृषि, पशुपालन, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिट केवल ऐसे माल का शुल्क मुक्त आयात कर सकती हैं जो इस बारे में जारी की गई सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत शुल्क मुक्त आयात हेतु अनुमत है ।

(च) इसके अलावा, जो ई ओ यू कृषि और बागवानी में अनुबन्ध कृषि कर रहे हैं उन्हें प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-14 ठ में यथाउल्लिखित विनिर्दिष्ट माल का डी टी ए से खरीदने/आयात करने की अनुमति होगी और उसे उत्पादन या उस सम्बन्ध में अनुबन्ध कृषकों के खेतों में ले जाने और उत्पाद को निर्यात के लिए वापिस जाने की अनुमति होगी ।

(छ) ई ओ यू/ई पी जैड रत्न और आभूषण यूनिटें नामित ऐजंसियो से सोना/चांदी प्लेटिनम प्राप्त कर सकती है ।

(ज) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरैन्स, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्क्रो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती है ।

पुराना पूंजीगत माल

6.3 शुल्क का भुगतान किए बिना पुराने पूंजीगत माल का आयात भी किया जा सकता है ।

पूंजीगत माल पट्टे

6.4 पार्टियों के बीच में हुई पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात यूनिट/निर्यात क्षेत्र की यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट घरेलू पट्टे वाली कंपनी से पूंजीगत माल उठा सकती है । ऐसे मामले में घरेलू पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट निर्यात क्षेत्र/ की यूनिट/ इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत माल आयात करने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ।

निर्यात के प्रतिशत (एन एफ ई पी) के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन और न्यूनतम निर्यात निष्पादन (ई पी)

6.5 न्यूनतम परिभाषित निर्यातों की प्रतिशतता के तौर पर विदेशी मुद्रा का न्यूनतम स्तर होगा और न्यूनतम निर्यात निष्पादन नीति के परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा। अनुमति-पत्र/आशय-पत्र में निर्दिष्ट निर्यात के लिए विनिर्माण की मदें निर्यातों की प्रतिशत के तौर पर निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के परिकलन के लिए तथा निर्यात- निष्पादन की पूर्ति के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

अनुज्ञा पत्र/साख पत्र और विधिक वचन बद्धता

6.6(क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा । एल ओ पी/एल ओ आई का आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी । इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वैधता की अवधि से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए लाइसेंस माना जाएगा । इसमें सीधे अथवा नामित राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से कच्चे माल और उपभोज्यों की खरीद शामिल है । ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों के लिए एल ओ पी/ एल ओ आई का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14-ग में दिया गया है ।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी और परिशिष्ट-1 में निर्धारित कार्य निष्पादन को पूरा न कर पाने के मामले में वह उस विधिक वचनबद्धता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन दण्ड की भागी होगी ।

आवेदन और अनुमोदन

6.7 जिन परियोजनाओं की संयंत्र और मशीनरी पर 50 लाख या अधिक से कम का निवेश न हो उनको ई.ओ.यू. स्कीम के अन्तर्गत स्थपना के लिए विचार किया जाएगा । ई ओ यू/ई पी

जेड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों की स्थापना के आवेदनों को संबंधित विकास आयुक्त द्वारा 15 दिन के भीतर मंजूरी दी जा सकती है जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 9.37 में उल्लिखित शर्तों को, पूरा करती हों ।

(ख) अन्य मामलों में, परिशिष्ट 14-ख में यथाउल्लिखित और यथाअधिसूचित अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए अनुमादन बोर्डों द्वारा दिया जा सकता है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों वाले प्रस्तावों पर अनुमोदन पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

बेकार माल सहित तैयार उत्पाद अवशेष/ स्क्रैप/शेष और उप-उत्पाद की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री

6.8 निर्यात अभिमुख यूनिटों/ निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों/ इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिटों का सारा उत्पादन निम्निलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगाः-

(क) यदि अनुमति पत्र/आशय-पत्र में स्पष्ट रूप से निषिद्ध न किया गया हो तो यूनिट द्वारा नीति के पैरा 9.9 (ख) के तहत बिक्री पर लागू शुल्को के भुगतान पर सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देने पर अस्वीकृत माल को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचा जा सकता है । ऐसी बिक्री को नीति के पैरा 6.8 (ख) अधीन धरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री हकदारी के तहत गिना जायेगा । उत्पादन के 5 प्रतिशत तक बेकार माल की बिक्री अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पूरा करने की शर्त के अधीन नहीं होगी ।

(ख) रत्न और आभूषण यूनिटो को छोड़कर यूनिटे निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय कर सकता है जो लागू शुल्क भुगतान और नीति के परिशिष्ट 1 में निर्धारित न्यूनतम अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा करने के अधीन होगी । नीति के पैरा तहत प्राइवेट बांडिड गोदाम की बिक्री को भी ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटो द्वारा निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा । चाय (इन्सटैंट टी को छोड़कर) और पुस्तकें या पैकेजिंग/लेबलिंग /सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन यूनिट और ऐसी अन्य मदों जोकि समय-समय

पर अधिसूचित की जाएगी । के मामले में कोई डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगा ।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटे डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यत निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि नीति के परिशिष्ट 1 में यथानिर्धारित अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया है । सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्रापतकर्त्ता नामित एंजेसियो से बिक्री पर यथा लागू सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भारतीय सार में शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा । रत्नजड़ित आभूषण के संबंध में, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय रूपये में शुल्क का भुगतान करना होगा ।

(घ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रैप/अवशिष्ट/अवशेष का नीति के पैराग्राफ 6.8(ख) के अधीन यथा लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री अथवा निर्यात किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा लेकिन न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन नहीं होगा । यूनिटों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रैप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा ।

(ड.) यदि ऐसे स्क्रैप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट कियाजाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(च) ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी यूनिटों को तैयार उत्पादनों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है जिसकी उपर्युक्त उप पैराग्राफ (ख) के अधीन अनुमत स्तरों के ऊपर संपूर्ण शुल्क के भुगतान के तहत अनुमति है बशर्ते इन यूनिटों ने नीति के परिशिष्ट 1 के अनुसार निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा और निर्यात निष्पादन प्राप्त किया हो ।

विशेष मामलों में एम एफ ई पी/ई पी प्राप्त किए बिना भी ऐसी बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ।

(छ) साफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए किसी भी रूप में डी टी ए में बिक्री हेतु अनुमति जिसमें ऑन लाईन डाटा कम्युनिकेशन

शामिल हैं, निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक और/या अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत जहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है ।

(ज) अनुमति पत्र/आशय पत्र में शामिल उपोत्पाद को डीटीए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते कि नीति के पैरा 9.8 (ख) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्को के भुगतान और अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया हो । पैरा 9.8 (ख) की हकदारी के बाहर उपोत्पाद की बिक्री संपूर्ण शुल्कों के भुगतान पर भी अनुमत होगी ।

नोटः- इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निर्यातों की प्रतिशतता के तौर पर निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी ।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अन्य आपूर्तियां

6.9 अर्जित निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगीः-

(क) नीति के पैराग्राफ 8.2 के संबंध् में डी टी ए में की गई आपूर्तियां;

(ख) डीटीए में क्रेता के एक्सचेंज अर्नस फॉरेन करंसी (ई ई एफ सी) खाते से भुगतान के प्रति डी टी ए में और विदेशों से विदेशी मुद्रा प्रेषण के प्रति की गई आपूर्तियां

(ग) अन्य निर्यातोन्मुख् इकाई/निर्यात संसाधन जोन/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिटों/एस ई जेड को आपूर्ति इस शर्त के साथ होगी कि ऐसी वस्तुएं नीति के पैराग्राफ 6.2 के अनुसार खरीद हेतु अनुमत है ।

(घ) नीति के पैराग्राफ और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के अधीन अथवा अधिसूचना सं0 32/97-सी यू एस, दिनांक 1.4.1997 के प्रति जॉबिंग निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए स्थापित प्राइवेट बांडेड गोदामों को की गई आपूर्तियां ।

(ड.) वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की विशेष हकदारी के तहत वस्तुओं की आपूर्ति ।

(च) रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा बलों को वस्तुओं की आपूर्ति बशर्ते कि वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हों ।

(छ) निर्यात माल की सेवा क्षेत्र इकाईयों द्वारा दी गई सेवाएं

(ज) सूचना प्रौद्योगिकी करार मदों (आई.टी.ए-आई) की आपूर्तियॉ

स्तर धारकों के जरिए निर्यात

6.10 कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेकनोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर पार्क यूनिट अथवा इस नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी व्यापारी निर्यातक/स्तरधारी के जरिए कर सकती है ।

नमूने

6.11 ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों द्वारा नमूनों के निर्यात/आपूर्ति के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 6.11 में दी गई है ।

डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

6.12 (क) निर्यातोन्मुख/निर्यात संसाधन क्षेत्र/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की यूनिटो को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को मान्य निर्यात समझा जाएगा । डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात निष्पादन यदि कोई हो, के अलावा नीति के पैराग्राफ 8.3 के अधीन सम्बन्धित पात्रता के लिए पात्र होगा इसके अलावा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होगें ।

(1) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी ;

(2) नीति के पैरा 6.2 के अधीन हकदारी के अनुसार सभी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट ;

(3) जब तक थोक चाय पर इस सम्बन्ध में लेवी लागू रहती है तब तक सम्बन्धित जोन के विकास आयुक्त द्वारा लाइसेंस शुदा नीलामी केन्द्रों से प्राप्त थोक चाय पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति ।

(4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर से संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी को लौटा दिया जाएगा ।

(ख) डी टी ए से ई ओ यू/ई पी जैड एककको को कटे और पालिश किए हुए हीरो, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरो, सिंथेटिक पत्थरो और

संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के परिशिष्ट 30(क) में उल्लिखित मदों के लिए दरो पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस पाने के पात्र होंगे ।

पैराग्राफ (क)(1) और (ख) (2) के अधीन बताए गए लाभ उपलब्ध होंगे बशर्ते कि आपूर्ति किया गया माल भारत में विनिर्मित हो ।

अन्य हकदारियां 6.13 ई.ओ.यू./ई.पी.जेड./ई.एच.टी.पी./एस.टी.पी. की अन्य हकदारी को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दर्शाया गया है।

अन्तर यूनिट हस्तांरण 6.14 (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) ई पी जैड यूनिट द्वारा आयातित प्राप्त माल को अन्य ई पी जैड को उधार पर अथवा पट्टे पर दिया जा सकता है जिसे बाकायदा गिना जाएगा लेकिन निर्यात निष्पादन की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा ।

(ग) हस्तांतरित या उधार दिए किसी भी पूंजीगत माल को संबंधित विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

उप-ठेके 6.15 (क)ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त से वार्षिक अनुमति के आधार पर डी टी ए में अपनी उत्पादन प्रक्रिया के उप-करार जिसमें वस्तुओं के स्वरूप को बदलना शामिल होगा डी टी ए में यूनिटों द्वारा जब कार्य के जरिए उप-ठेका दे सकते हैं । ये यूनिट सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त की अनुमति से डी टी ए में जाव कार्य के लिए उत्पादन के 50प्रतिशत तक उप-ठेका भी दे सकते हैं । यूनिट में रखे गए रिकार्ड के आधार पर अन्य ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों के जरिए उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के लिए भी उप-ठेका भी दिया जा सकता है । उत्पादन प्रक्रिया के भाग को अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से विदेशों में उप ठेके की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) ई ओ यू/इ पी जैड यूनिटे सीमाशुल्क आयुक्त की अनुमति से डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात हेतु जान वर्कर सकती हैं बशर्ते माल को ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए । ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी ।

(ग) जाब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रैप/वेस्ट/टुकडों को या तो जाब वर्कर के कार्य स्थल से शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है ।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू/ई पी जैड यूनिट को सादा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात जिसमें फाइन्डिंग कम्पोनेन व अर्ध परिष्कृत जेबरात भी शामिल है । डीटीए से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम उसी सुद्दता व मात्रा के हिसाब डीटीए से अदला बदली के आधार पर लेने की अनुमति है । डीटीए यूनिटें जो इस प्रकार के जेबरातों स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनियम के जेबरातों की आपूर्ति करते है का मान्य आयात का लाभ के पात्र होंगे । ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटें इस प्रकार के जेबरात के आधार पर वैस्टजे या विनिर्माण के नुकसान लेने के पात्र नहीं होगें ।

प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

6.16(क) यदि कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र/ई एच टी पी/ एस टी पी की यूनिट वैध कारणों से आयातित माल का उपयोग नहीं कर पाती है तो यह डी टी ऐ यूनिट द्वारा आयात लाइसेंस सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, जो लागू हो, डी टी ए में उनका पुनः नियात या निपटान कर सकती है । एक ई ओ यू/ई पी जैड/ई एचटी पी/एस टी पी यूनिट से अन्य यूनिट को आपूर्ति इस पैरा के अधीन आयात के रूप में जानी जाएगी ।

(ख) पूंजीगत वस्तुएं और हिस्से पुर्जे जो पुराने हो गए हैं उन्हें विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति से डी टी ए में बेचा जा सकता है या इनका निर्यात किया जा सकता है बशर्ते इनके हांसित मूल्य पर लागू शुल्क का भुगतान किया जाए । हांसित मूल्य का लाभ, जहां लागू हों डी टी ए में निपटान के मामलों में उपलब्ध होगा । प्राधिकारियों सीमाशुल्क की अनुमति से नष्ट की गई वस्तुओं पर शुल्क देय नहीं होगा ।

रिंकडिशनिंग/पुनः निर्माण और पुनः इंजिनियरिंग करना

6.17 निर्यातोन्मुख/निर्यात संसाधन/ई एच टी पी/एस टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकडिंशनिंग, पुनः निर्माण और मरम्मत परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे कार्यो के लिए मुक्त रुप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए आयातों की अनुमति दी जा सकती है । इस अध्याय के पैराग्राफ 6.8,6.9. 6.10, 6.11,6.12, 6.14 व 6.15 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगें ।

वस्तुओं का प्रतिस्थापन/ मरम्मत

6.18(क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात के संबंधित नीति के प्रावधान ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा ।

(ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की अनुमति से मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है ।

(ग) आयात करने पर स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं लौटाए नष्ट किए जा सकते हैं, तथा उन्हें प्रतिस्थापित करने वाली वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है।

बांडिंग

6.19 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी स्कीमों के तहत यूनिटों हेतु बांडिंग की शुरूआती अवधि 5 वर्ष होगी । संबंधित विकास आयुक्त इस अवधि को एक बार में 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं ।

बांड से विमुक्ति

6.20(क) निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों ई एच पी/एस टी पा की यूनिटों को बाण्ड से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार बांड से वंचित करने में दिए जाने वाले दण्ड और उस समय लागू सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क लागू होंगे।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो डिबांडिग सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लगाये गये दंड के अनुसार होगा ।

(ग) रत्न व जेबरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, एलोईज, रत्न व अन्य सामग्री वाणिज्य व उघोग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा नामित ऐंजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्ताक्षिरण करना पडेगा ।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 14- के अनुसार मानक शर्तों और पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले एकक निर्यातोन्मुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान पर बांड से विमुक्त कर दिया जाएगा ।

परिवर्तन

6.21 (क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है लेकन पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत शुल्कों और करों में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा संबद्ध योजनाओं के तहत अनुमेय ड्यूटी एवं टैक्स से अनुमत छूट का लाभ उठा सकती है।

एन एफ ई पी/ एफ पी की मानिटरिंग और रिकार्डों का रख-रखाव

6.22 निर्यातों की प्रतिशतता के तौर पर निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत से पांच वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक और संचित निबल आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

ई ओ यू/ई पी जे यूनिटों के निष्पादन पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14 (ङ.) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार निगरानी रखी जाएगी ।

प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर/ ब्रान्डेड जेबरात का निर्यात/विदेशी रुम के जरिए निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानें

6.23 ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटें निम्नलिखित के हकदार होंगे:

(1) विकास आयुक्त की अनुमति से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम के जेबरात का निर्यात तथा उनके निर्मित सामान का विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होना।

(2) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, मानिक व शो सामग्री का पर्सनल कैरटिएज ।

(3) जेबरात ब्रान्डेड जेबरात सहित का आयात विदेशों में बनाई गयी दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय हेतु अनुमेय हैं ।

(4) विदेशों में बनायी गयी दुकानों तथा या उनके एजेन्टों/विक्रय हेतु अनुमेय हैं ।

(5) विदेशी पर्यटकों को साधारण व स्टडेड जेबरात विक्रय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शो रूम व रिर्टल आटल लैट खोलना ।

आयात का व्यक्तिगत कैरिएज/आयात पार्सल	6.24	विदेश जाने वाले रत्न के व्यक्तिगत कैरिएज रत्न व जेवरात सहित निर्यात पार्शल व भारतीय निर्यातक/विदेशी नागरिक के रत्न व जेबरात व्यक्तिगत कैरिएज आयात पार्शल को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार अनुमेय हैं ।
डाक/कोरियर तथा निर्यात	6.25	सामान सोने/चाँदी/प्लेटिनम जेवरात तथा उसका सामान का निर्यात हवाई जहाज/विदेश डाक खाना तथा कोरियर द्वारा किया जा सकता है।
ई.पी.जैड में आधार भूत विकास	6.26	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -1) 14(ज) के मार्ग दर्शन के अनुसार आधार भूत विकास जिसमें ई पी जैड में मानक डिजाइन के फैक्ट्री भवन का निर्माण भी शमिल है को निजी/संयुक्त /राज्य सैक्टर के द्वारा कराया जा सकता है ।
ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों का प्रशासन	6.27	ई ओ यू/ई पी जैड में प्रशासन का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) में दिया गया है ।
रुग्ण यूनिटों का पुननिर्माण	6.28	उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर बोर्ड द्वारा यूनिट के पुननिर्माण या अधिग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है।
फास्ट ट्रैक	6.29	ई. ओ. य./.ई. पी. जैड यूनिटों के लिए जिनमें प्लान्ट व मशीनरी (आयातित व घरेलू) के रुप में 5 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ है के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में फास्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है ।

नोटः ई एच टी पी/एस टी पी योजना के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंध पैराग्राफ के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/अनुमति ई. पी. जैड. के विकास आयुक्त के बजाए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नार्मित अधिकारी द्वारा व वी ओ ए के बजाए इन्टर मिनिस्ट्रिपल स्टैंडिग कमेटी (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी ।

अध्याय - सात

विशेष आर्थिक क्षेत्र

शीर्ष		प्रावधान
1	2	3
पात्रता	7.1(क)	विशेष आर्थिक क्षेत्र एक खास तौर से शुल्क मुक्त क्षेत्र है और यह व्यापार कार्यकलापों तथा शुल्क और प्रशुल्क के प्रयोजनों के लिए एक विदेशी क्षेत्र है ।
	(ख)	डी टी ए से एस इ जेड में जाने वाली वस्तुओं को निर्यात माना जाएगा और एस ई जेड से डी टी ए में आने वाली वस्तुओं को आयात की गई वस्तुएं माना जाएगा ।
	(ग)	एस. ई. जेड. एककों की स्थापना वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, एसेम्बलिंग, व्यापार, मरम्मत, पुनः निर्माण, रिकंडीशनिंग, रि-इंजीनियरिंग की जाएगी जिसमें स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषण और इसकी वस्तुएं या इससे संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं ।
वस्तुओं का निर्यात और आयातीयता	7.2	(क) एस ए जेड एकक,कृषि उत्पादों, आंशिक रुप से प्रसंस्कृत आभूषणों, सब-एसेम्बलीज और संघटकों सहित वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं । यह उपोत्पादों, अस्वीकृत माल, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वेस्ट स्क्रैप का भी निर्यात कर सकते हैं ।
		व्यापार/सेवा यूनिट को छोड़कर एस ई जेड यूनिट रुस संघ को भी खरीददार के राज्य क्रेडिट/स्क्रो रुपया लेखा के भुगतान के प्रति भारतीय रुपयों में निर्यात कर सकता है । बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक की निकासी, यदि कोई हो, की अनुमति प्राप्त हो ।
		(ख) एस. ए जेड एकक अपने कार्यकलापों या इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक और इस क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिए नीति में यथा-परिभाषित पूंजीगत वस्तुओं सहित, चाहे नई हों या पुरानी, सभी प्रकार की वस्तुओं का शुल्क के भुगतान के बिना आयात कर सकते हैं बशर्ते ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हों । इन एककों को

पूंजीगत वस्तुओं, बिना लागत के यहाँ ग्राहकों से ऋण के रुप में, सहित स्वीकृत कार्यकलापों के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की भी अनुमति होगी ।

(ग) एस. ई. जेड. एकक नीति के तहत साबित डी टी ए में बांडेड गोदामों से शुल्क का भुगतान किए बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं ।

(घ) एस. ई. जेड एकक नीति के तहत साबित डी. टी. ए. में बांडेड गोदामों से तथा भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से शुल्क का भुगतान किए बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं ।

(ड.) एस ई जेड, एस. ई. जेड. में सॉफ्टवेयर विकास एककों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा की स्थपना के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं का शुल्क का भुगतान किए बिना आयात कर सकते हैं । साफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा साफ्टवेयर के निर्यात हेतु डी टी ए में एककों द्वारा बढ़ोतरी भी की जा सकती है ।

(च) रत्न और आभूषण एकक नामजद अभिकरणों के जरिए स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम भी प्राप्त कर सकते हैं ।

(छ) एस. ई. जेड. एकक, डी. टी. ए. से विशिष्ट माल का शुल्क भुगतान किए बिना और ऐसी शर्तों के अधीन आयात/खरीद भी कर सकते हैं जो जौन में यूनिटों की स्थापना करना चाहती है।

पूंजीगत वस्तुओं को पट्टे पर देना

7.3 एस. ई. जेड एकक पार्टियों के बीच पक्के ठेके के आधार पर घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी से पूंजीगत वस्तुएं प्राप्त कर सकता है । ऐसे मामलों में एस ई जेड यूनिट और घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी संयुक्त रुप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ताकि शुल्क के भुगतान के बिना पूंजीगत वस्तुओं का आयात/प्राप्ति संभव हो सके ।

निबल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई)

7.4 एस ई जेड एकक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला एकक होगा । निबल विदेशी मुद्रा अर्जन परिकलन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ - 74 में दिए गए फार्मूले के अनुसार वार्षिक उत्पादन शुरु होने से पाँच वर्षों की अवधि के लिए संचित रुप से किया जाएगा ।

मॉनिटरिंग का कार्य निष्पादन की मानिटरिंग

7.5(क) एस ई जेड एककों के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी शामिल हों । इस समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे । यह समिति इस बात को भी देखेगी कि स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और इसकी वस्तुओं में वेस्टेज/विनिर्माण हानि प्रकिया-पुस्तक (खण्ड-1)के परिशिष्ट 14ङ में निर्धारित समग्र प्रतिशत के भीतर हो। अधिक वेस्टेज/विनिर्माण हानि होने पर समिति इसके औचित्य को देखेगें ।

(ख) एस. ई. जेड एककों के कार्य निष्पादन की मानिटरिंग प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट -14ङ में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी ।

विधिक वचन-बद्धता

7.6 एकक संबंधित विकास आयुक्त के साथ एक विधिक वचनबद्धता निष्पादित करेगा और सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जन न कर पाने की स्थिति में विधिक बचनबद्धता या उस समय लागू अन्य किसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है ।

अनुमोदन और आवेदन

7.7(क) एस ई जेड एकक स्थापित करने के लिए आवेदन जो प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 7.19 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदनों को एस ई जेड के संबंधित विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जाएगी । अन्य मामलों में इस प्रयोजन के लिए स्थापित यथाअधिसूचित अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जाएगी जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 14-ख में दर्शाया गया है ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले के आधार पर विचार किया जाएगा ।

डी टी ए बिक्री और आपूर्तियाँ

7.8(क) एस.ई. जेड एकक उस समय लागू आयात नीति के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करके डी.टी.ए. में उपोत्पादों और सेवाओं सहित वस्तुओं की बिक्री कर सकता है ।

(ख) सेवा/व्यापार एककों द्वारा डी. टी. ए. बिक्री संचित रुप से सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अधीन होगी। में संलग्न हैं डी टी ए बिक्री संचित सिंगल एल ओ पी में इकाइयाँ जो विनिर्माण और सेवा/व्यय एन. ई. एफ. की प्राप्त की शर्त पर होगी ।

(ग) एस ई जेड एककों द्वारा डी टी ए में की गई निम्नलिखित आपूर्तियॉ सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा ।

(1) नीति के पैराग्राफ 8.3 के अनुसार डी टी ए में की गइ आपूातया

(2) अधिसूचना सं0 32/97 सी यू ए दिनांक 1.4.1997 के जाबिंग निर्यात आर्डर के तहत और/या सीमाशुल्क की धारा 65 के तहत स्थापित बांडिड गोदामों को की गई आपूर्तियाँ ।

(3) अन्य ई ओ ये/ई पी जेड/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी एककों को की गई आपूर्तियॉ बशर्ते नीति के पैराग्राफ 7.2 के अनुसार ऐसे एककों द्वारा इन वस्तुओं को प्राप्त करने की अनुमति हो ।

(4) वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की विशेष हकदारी के तहत आपूर्तियाँ

(5) रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा बल/विदेशी मिशन/डिप्लोमेटों को वस्तुओं की आपूर्ति बशर्ते वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ये ऐसी मदों काशुल्क मुक्त आयात करने के पात्र हों ।

(6) सेवा की ईकाइयों द्वारा माल निर्यात के लिए प्रदत्त सेवाएं ।

(7) सूचना तकनीकी समझौते (आई टी ए-1) मदों की आपूर्ति ।

डी टी ए से आपूर्ति के हेतु हकदारी

7.9 डी टी ए से एस ई जेड को आपूर्ति वाली यूनिटें निम्नलिखित लाभों के प्राप्त होंगे ।

(क) डी टी ए आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित लाभ के हकदार होंगे ।
(1) नीति के पैराग्राफ 8.3 के अधीन सम्बन्ध हकदारी
(2) निर्यात प्रदर्शन का दायित्व
(3) नीति के पैरा 8.3 में विनिर्दिष्ट ड्राबैक के बदले में डी.ई.पी.बी.

(ख) एस. ई. जैड यूनिटें पात्र होगें ।
(1) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी;
(2) नीति के पैरा 7.2 के अधीन हकदारी के अनुसार सभी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट

(3) ई.ओ.यू./ई.पी.जेड./ई.पी.जेड. यूनिटों द्वारा नीलामी केन्द्रों द्वारा प्राप्त थोक चाय पर किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान की सभी संबंधित जोन के विकास आयुक्त द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर से संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी को लौटा दिया जाएगा ।

(ख) डी टी ए से ई ओ यू/ई पी जैड एककको को कटे और पालिश किए हुए हीरो, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरो, सिंथेटिक पत्थरो और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के परिशिष्ट- 13 में उल्लिखित दरों और मदों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस पाने के पात्र होंगे ।

(ग) पैराग्राफ (क) और (ख) 1 व 2 के अधीन उपलब्ध लाभों के पात्र होंगे बशर्ते कि आपूर्ति किया गया माल देश में विनिर्मित हो ।

स्तर धारकों के माध्यक से निर्यात

7.10 एस ई जेड एकक उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं का इस नीति के तहत मान्यता प्राप्त व्यापारिक निर्यातक/स्तरधारक या किसी अन्य ई ओ यू/ई पी जैड/एस ई जेड/ई एच टी पी एस टी पी एकक के माध्यम से निर्यात भी कर सकता है ।

अन्तर यूनिट हस्तांरण

7.11 (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट द्वारा आयातित प्राप्त माल को अन्य ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट एस ई जैड को उधार पर अथवा पट्टे पर दिया जा सकता है जिसे बाकायदा गिना जाएगा लेकिन निर्यात निष्पादन की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा । तथापि एस ई जैड यूनिटें जो व्यापारिक गतिविधियॉ विनिर्माता के साथ अन्य एस ई जैड, ई पी जैड या ई ओ यू को आयातित या खरीदा हुआ माल स्थानान्तरित नहीं कर सकते ।

सब पैरा (क) और (ख) के अनुसार माल के हस्तान्तरण के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी । परन्तु यूनिट कार्य का पूरा लेखा-जोखा रखेगी ।

अन्य हकदारी

एस ई जैड की अन्य हकदारी को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दर्शाया गया है ।

उप-ठेका

7.12 (क) एस ई जेड एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से डी टी ए में एककों या अन्य एस ई जेड/ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी के माध्यम से अपने उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया का ठेका दे सकता है । उत्पादन प्रक्रिया के भाग के उप ठेके की विदेश में अनुमति अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से दी जा सकती है ।

(ख) एस ई जेड रत्न और आभूषण एककों द्वारा उप ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा,

(1) जड़ित आभूषणों सहित तैयार या अर्द्ध-तैयार वस्तुओं जिनमें इस प्रकार निकाले गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटीनम के बराबर मात्रा और शुद्धता हो, को 30 दिन के भीतर जाने में वापिस लाया जाएगा । इसके अलावा किसी हीरे, बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों को उप ठेके के लिए जोन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

(2) बराबर मात्रा और शुद्धता के स्वर्ण/चांदी/प्लेटीनम के बदले में डी टी ए से सादा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले में डी टी ए से सादा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषण प्राप्त करना ।

(3) एस ई जेड एकक क्रम सं0 (1) में यथाउल्लिखित प्रसंस्करण के पश्चात डी टी ए से प्राप्त आभूषण के प्रति और जैसा कि ऊपर क्रम सं0 (2) में उल्लेख् किया गया है स्वर्ण/चांदी/प्लेटीनमके बदले वेस्टेज या विनिर्माण हानि के पात्र नहीं होंगे ।

(4) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले जोब वर्क या आभूषण की आपूर्ति का कार्य हाथ में लेने वाला डी टी ए एकक मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र नहीं होगा ।

(ग) रत्न और आभूषण एकक सहित सभी एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति के बिना उसी एस ई जेड अन्य एककों के माध्यम से उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया को उप-ठेके पर दे सकते हैं जो कि आपूर्ति करने वाले और वस्तुओं को प्राप्त करने वाले एककों दोनों द्वारा रिकार्ड रखने के अधीन होगा ।

(घ) रत्न और आभूषण एककों के अलावा, एस ई जेड एककों को डी टी ए निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए जानकारी लेने की अनुमति होगी बशर्ते तैयार वस्तुओं एस ई जेड एककों को सीधे ही निर्यात किया जाए । ऐसे निर्यात के लिए डी टी ए एकक शुल्क वापसी की बान्ड दर की वापसी के पात्र होंगे ।

(ड.) जाब वर्क से उत्पन्न स्क्रेप/वेस्ट/इमेनेन्ट को लागू शुल्क का भुगतान करके जाब सर्कर के परिसर से निकास किया जाएगा या एकक को वापिस किया जाएगा ।

डी-बॉडिंग

7.13(क)एस ई जेड एकक को विकास आयुक्त के अनुमोदन से डी-बांडिंग किया जा सकता है । ऐसी डी बाडिंग आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं, कच्चा माल आदि और स्टॉक में तैयार वस्तुओं पर लागू सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान के अधीन होगी। यदि एकक ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं कि है तो यह दण्ड के अधीन होगा जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा ।

(ख) एक बार के विकल्प के रुप में विकास आयुक्त द्वारा एस ई जेड एकक की मौजूदा ई पी सी जी किसी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने पर डी-बॉड की अनुमति दी जाएगी बशर्ते एकक इस योजना के पात्रता संबंधी मानदण्डों और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड- 1) के पैराग्राफ 9-क.13 के अनुसार मानक शर्तों को पूरा करें ।

समारोह/निर्यात संवर्धन दौरों/ ब्रान्डेड आभूषणों निर्यात/ विदेशों में शो-रुम के माध्यम से निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानों माध्यम से निर्यात

7.14 विशेष आर्थिक क्षेत्र रत्न एवं आभूषण एकक निम्नानुसार पात्र होंगे:-

(क) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में आयोजित समारोह में होल्डींग/प्रतियोगिता के लिए सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों एवं इनकी का बनी वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा ।

(ख) सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों, बहुमूल्य, अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों, बीड्स एवं वस्तुओं की व्यक्तिगत दुलाई ।

(ग) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों पर प्रर्दशन/ब्रिक्री के लिए बॉडेड आभूषणों सहित आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति है ।

(घ) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों या इनमें वितरकों/एजेंन्टों के शोरुम में प्रर्दशन/ब्रिक्री

(ड.) विदेशी ट्यूरिस्टों कोसादे और जड़ित आभूषणों की ब्रिक्री के लिए अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शोरुम/खुदरा ब्रिकी केन्द्रों की स्थापना ।

निर्यात/आयात पार्सल को व्यक्तिगत रुप

7.15 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से ले जाने और किसी भरतीय या विदेशी नागरिक द्वारा रत्न और आभूषणों के अभ्यत पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से जाना जाने की अनुमति प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 9-क.15 में दी गई शर्तों में दी जएगी ।

डाक कुरियर द्वारा निर्यात

7.16 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों एवं इससे बनी वस्तुओं का एयरकुरियर या विदेशी डाकघर या कुरियर के द्वारा निर्यात किया जा सकता है ।

खराब मास/ स्क्रेप/वेस्ट/ अपशिष्ट का निपटान

7.17 उत्पादन प्रक्रिया या इससे संबंधित अभिकलापों से बने खराब माल/ स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट को लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क प्राधथ्कारी को सूचित करके जोन के भीतर स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट/खराब माल को नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से एस ई जेड के बाहर नष्ट करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

वस्तुओं को बदलना/ मरम्मत करना

7.18 (क) बदली गई/मरम्मत की गई वस्तुओं के निर्यात संबंधित नीति के पैराग्राफ 11.9 एवं 11.11 के प्रावधान एस ई जेड एककों को भी समान रुप से लागू होंगे, पैराग्राफ 11.9 एवं 11.11 के प्रावधानों में जो मामले नहीं आते उन पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुओं जिन्हें खराब पाया गया है उन्हें विकास आयुक्त को सुचित करते हुए मरम्मत/बदलने के लिए वापिस लाया जाएगा ।

(ग) वस्तुओं या इसके हिस्सों को अभ्यातित रुप से/स्वदेशी रुप से प्राप्त किए जाने और खराब पाया जाने या प्रयोग के लिए अन्यथा ठीक ना पाया जाना या जो वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आयात/प्राप्त के पश्चात् खराब हो गई हैं उन्हें वापिस किया जा सकता है और बदला जा सकता है यानष्ट किया जा सकता है । वस्तुओं को बदले जाने की स्थिति में वस्तुओं को विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं या भारत इनके प्राधिकृत एजेंन्टों या स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से वापिस लाया जा सकता है ।

(घ) सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके वस्तुओं को मरम्मत करने/बदलने, परीक्षणया अंशाकन, गुणवत्ता, परीक्षण और अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिएडी टी ए को हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रबन्धन

7.19 (क) एस ई जेड़ विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(ख) विशेष आर्थिक जोन यूनिटों में अन्य विनिर्दिष्ट स्वयं प्रमाणित प्रक्रिया के माध्यम को छोड़कर सभी गतिविधियाँ

निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में ई जेड की स्थापना

7.20 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा-अधिसूचना के अनुसार एस ई जेड सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एस ई किए जा सकते हैं । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करके मौजूदा निर्यात संसाधन जोनों को एस ई जेड में परिवर्तित भी किया जा सकता है ।

नमूने

7.21 एस ई जेड एकक उनके द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से:-

(क) लागू शुल्क का भुगतान, प्रर्दशन/बाजार संवर्धन के लिए डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या बिक्री कर सकते हैं ।

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर वस्तुओं को वापिस लाने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपर्युकत वचनबद्धता देकर शुल्क के भुगतान के बिना नमूनों को हटा सकते हैं ।

(ग) कुरियर एजेंन्सियों के माध्यम से नमूनों सहित निर्यात नमूने वैक्स मोडल्स, सिल्वर मोडल्स और रबर माइल्डस के निर्मित नमूनों का भी यूनिटों द्वारा रखे गए रिकार्ड एवं सीमाशुल्क प्राधिकारण को सूचना के आधार पर बिना किसी सीमा के निर्यात कर सकते हैं । कूरियर एजेन्टों के माध्यम से भी नमूनों का निर्यात किया जा सकता है ।

अप्रयुक्त सामग्री अप्रचलित वस्तुओं की बिक्री

7.22 (क) यदि कोई एस ई जेड एकक वैध कारणों से पूंजीगत वस्तुओं और हिस्से पुर्जों सहित वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाता तो उस समय लागू आयात नीति के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करके डी टी ए में बेच सकता है ।

(ख) जो पूंजीगत वस्तुएं और हिस्से पूर्जे प्रचलित/फालतू हो गए हैं उन्हें या तो निर्यात किया जा सकता है या लागू शुल्क का भुगतान करके डी टी ए में बेचा जा सकता है । यथा लागू मूल्यह्रास लाभ डी टी ए में ब्रिक्री के मामले में उपलब्ध होंगे ।

(ग) यदि वस्तुओं का सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से नष्ट कर दिया जाता है तो उसे शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा ।

(घ) संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एस ई जेड एकक को प्रिन्टर, प्लोटर, स्कैनर, मॉनिटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट सहित आयातित/स्वदेशी (खरीदा या ऋण पर लेना) रुप से प्राप्त किए गए कम्प्यूटर और पेरिफैरलस का एकक द्वारा आयात करने/प्राप्त करने और प्रयोग के 2 वर्ष के पश्चात शुल्क का भुगतान किए बिना इस संबंध में जारी सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पांद शुल्क की अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यक शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मा अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रुप वित्त पोषित अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, भारत सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को दान कर सकते हैं ।

एस ई जेड द्वारा विकासकर्त्ता एस ई हकदारी

7.23 (क) निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में एस ई जेड का विकास कर्त्ता सरकार विकास कार्यों एवं एस ई जेड में रख-रखाव के लिए सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना जेड के विकास के लिए वस्तुओं का आयात/प्राप्ति कर सकता है ।

(ख) एस ई जेड विकास कर्त्ता एस ई जेड को विकसित करने के लिए आयकर अधिनियम में यथानिर्दिष्ट विभिन्न हकदारियाँ पाने का पात्र होगा ।

संक्रमण प्रबन्ध

7.24 मौजूदा ई पी जेड एकक के पास निम्नलिखित विकल्प रहेंगे:-

(क) ई पी जेड एकक इस अध्याय के तहत एस ई जेड योजना का विकल्प चुन सकता है । परिवर्तन होने पर एस पी जेड एकक का पहले का दायित्व एस. ई. जेड योजना के तहत दायित्व में मिल जाएगा । परिवर्तन के समय एकक के स्टॉक में पड़ा कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य और तैयार वस्तुओं को एस ई जेड़ योजना के तहत प्रारंभिक शेष के रुप में ले लिया जाएगा । एकक की अनुपयुक्त डी टी ए बिक्री हकदारियाँ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित परिवर्तन की तारीख से समाप्त हो जाएगी ।

(ख) जो मौजूदा ई पी जेड एकक ऊपर (का) विकल्प को नहीं चुनते तो वे स्वयं को ई. ओ. यू या डिमाण्ड में परिवर्तित कर सकते हैं । दोनों मामलों में एकक को वास्तविक रुप से एस. ई. जेड के बाहर जाना होगा ।

अध्याय - आठ

मान्य निर्यात

परिभाषाः

8.1 "मान्य निर्यात" का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता ।

संभरण की श्रेणियाँ

8.2 इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का मुख्य/उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को मान्य निर्यात" के रुप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :-

(क) शुल्क मुक्त /शुल्क वापसी स्कीम के तहत जारी अग्रिम लाइसेंस/डी एफ आर सी के प्रति माल का संभरणः

(ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों या निर्यात संसाधन क्षेत्रों/एस ई जैड या साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्कस अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्कस में स्थित यूनिटों को माल की आपूर्ति ।

(ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।

(घ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था होः

(ड.) पूंजीगत माल की आपूर्ति जिसमें उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु इस पूंजीगत माल के लिए आवश्यक अनअसैम्बल्ड/डिसअसैम्बल्ड हालत में तथा कच्चा माल अर्न्तवर्ती,संघटक,कलपुर्जे शामिल हैं और एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों एवं वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति, यदि आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अधीन की गई हो ।

(च) इस अध्याय के अन्तर्गत घरेलू संभरण के लिए शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलू संभरण के लिए माल की आपूर्ति ।

(छ) ऊपर (च) में शामिल न किए गए पावर और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति ।

(ज) शिपिंग कारपोरेशन को 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से निर्यात 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर किया गया हो ।

(झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों द्वारा वित्त पोषित संगठनों को की गई आपूर्ति ।

( ) अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति ।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ

8.3 मान्य निर्यात के रुप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे बशर्ते कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार हो ।

(क) अर्न्तवर्ती आपूर्ति/मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस

(ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी स्कीम

(ग) टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी, और

अध्याय - नौ

परिभाषाएं

9.1 इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पैरों में दिए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगेः-

9.2 "उपांग या संलग्नी" का अर्थ है एक पूर्जा, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है ।

9.3 "अधिनियम " का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992, 1992 की संख्या 22 ।

9.4 "वास्तविक उपयोक्ता" का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है ।

9.5 "वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा फुटकर सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करता है ।

9.6 " वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता होः-

1. कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
2. कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल, या
3. कोई सेवा उद्योग ।

9.7 "ए ई जैड" का अर्थ है महानिदेशक विदेशव्यापार द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र ।

9.8 "अग्रिम लाइसेंसिंग समिति" का अर्थ है शुल्क से मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश करने और महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति ।

9.9 "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।

9.10 "पूंजीगत माल" का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल हैं। पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूंजीगत माल को निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।

9.11 " सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हों ।

9.12 "संधटक" का अर्थ उप संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए । संघटक में उसके सहायक या उपषंगी भी शामिल हैं ।

9.13 " उपभोज्य" माल का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । मदें जिनका वास्तविक रूप में पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।

9.14 " उपभोक्ता माल" का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।

9.15 " प्रतिसंतुलन व्यापार" (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हों । प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है । ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।

9.16 'डी एफ आर सी' का अर्थ है शुल्क वापसी स्कीम के अधीन जारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र

9.17 "शुल्क वापसी" का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती । भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आयातित कल-पुर्जे, यदि आपूर्ति की गई है, माल में शामिल है ।

9.18 "ई. एच. टी. पी." का अर्थ है इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नॉलाजी पार्क ।

9.19 "ई.ओ.यू." का अर्थ है निर्यात उन्मुख एकक ।

9.20 "ई. पी. जेड" का अर्थ निर्यात संसाधन क्षेत्र से है ।

9.21 "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अध्यधीन हो ।

9.22 "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारक हो जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो ।

9.23 "निर्यात दायित्व" का अर्थ है:- लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व ।

9.24 "प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)" का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और "प्रक्रिया (खण्ड-2)" का नीति के पैरा 2.4 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है ।

9.25 "आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो ।

9.26क आई टी सी (एच एस) का अर्थ निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है ।

9.27 " जाबिंग" का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो ।

9.28 " लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो अधिनियम/आदेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो ।

9.29 " लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।

9.30 " विनिर्माण" का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया, उत्पन्न किया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजेरेशन, पुनः पैकिंग, पौलिशिंग, लेबलिंग और अलगाव विनिर्माण में इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं ।

9.31 " विनिर्माता निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।

9.32 "एम. ए. आई." का बाज़ार पहुंच पहल से है ।

9.33 "व्यापारी निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।

9.34 "एन एफ ई पी" का अर्थ निर्यात की प्रतिशतता के रुप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन से है।

9.35 "अधिसूचना" का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

9.36 "आदेश" का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।

9.37 " पुर्जे" का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामन्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न हो । " पुर्जा" एक संघटक अथवा उपसाधन हो सकता है ।

9.38 " व्यक्ति" का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति ।

9.39 " नीति " का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007

9.40 "निर्धारित" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम और आदेश या नीति के तहत निर्धारित से है ।

9.41 " सार्वजनिक सूचना" का अर्थ नीति के पैरा 4.11 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना से है ।

9.42 " कच्ची सामग्री" का अर्थ है:

1. मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो, और
2. किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो ।

9.43 " क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित किसी क्षेत्र या अंचल के सम्बंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली शक्तियों से है ।

9.44 " पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र" (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य नीति या प्रक्रिया (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।

9.45 " नियमों" का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।

9.46 " सेवाओं" में, सेवाओ के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाला सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।

9.47 " सेवा प्रदान करने वाला" का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-

1. भारत से किसी और देश के लिए सेवा प्रदान करता है,
2. भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति करता है, और

3. भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है ।

4. भारत में निर्यातों से सम्बन्धित सेवा की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो या भारतीय मुद्रा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा माना हो ।

9.48 एस ई जेड का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है ।

9.49 " शिप " का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्रतट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।

9.50 "एस आई ओ एन" का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-2) 2002-2007 में अधिसूचित मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है ।

9.51 " अतिरिक्त पुर्जा" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। अतिरिक्त पुर्जे में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं ।

9.52 " विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।

9.53 " स्तर धारक" का अर्थ महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा निर्यात सदान/ व्यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन/अन्तरराष्ट्रीय स्टार सेवा निर्यात सदन,सुपर स्टार व्यापार सदन/ या सेवा व्यापार सदन, अन्तरराष्ट्रीय सेवा निर्यात सदन, अन्तरराष्ट्रीय सुपर स्टार सेवा निर्यात सदन के तौर पर मान्यता सेवा प्रदायक से हैं ।

9.54 "एस टी पी" का अर्थ साफ्टवेयर तकनालॉजी पार्क से है ।

9.55 " तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात" का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा तीसरी पार्टी की ओर से किए गए निर्यात। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख होगा ।

9.56 " वन्य प्राणी" का अर्थ है कोई वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में परिभाषित है ।

परिशिष्ट - 1

ई. ओ. यू./ई.पी.जैड/ई.एच.टी.पी./एस.टी.पी. योजना (नीति पुस्तक का पैराग्राफ 6.5) के अन्तर्गत न्यूनतम एन. एफ ई. पी. व ई. पी. की आवश्यकता ।

सैक्टर का नाम	न्यूनतम एन.एफ.ई.पी.	5 वर्ष के लिए न्यूनतम ई.पी.
क. विर्निमाता/प्रोसेसिंग सैक्टर		
(1) यूनिटों की प्लांट व मशीनरी के लिए वास्तविक निवेश आयातित या घरेलू तौर पर रु. 5 करोड या उससे अधिक	सकारात्मक	3.5 मिलियन अमेरिकी डालर याआयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ. मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(2) इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर	सकारात्मक	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
3.(क) कृषि, जलकृषि, सकारात्मक पशु पालन बागवानी मत्स्यपोलन,अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन, रेशमी कीड़ो का पालन	सकारात्मक	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(ख) कृषि निर्यात जौन में ई.ओ.यू.	सकारात्मक	0.25 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(ग) पुष्पोत्पादन	सकारात्मक	0.25 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(घ) खाद्य प्रसंस्करण	सकारात्मक	0.25 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।

(ड.) जेव प्रोद्योगिकी	सकारात्मक	0.50 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(4) सभी प्रकार के खिलौने	सकारात्मक	0.50 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(5) कम्प्यूटर साफ्टवेयर आई.टी. इनैबल्ड सेवाए	10 प्रतिशत	0.25 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(6) रत्न व जेवरात स्वर्ण/प्लेटिनियम/चाँदी		
क.स्वर्ण/प्लेटिनियम/चाँदी अजड़ित चेनें व चुड़ियां या उसका मिश्रण जो कि पूर्ण मैकेनाइज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित हो	3 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
ख.स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनियम मैडेलिअन्स सिक्के (वैधानिक तौर पर प्रचलित सिक्कों को छोडकर) और अन्य सामान	3 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
ग.स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनियम फाइन्डिंग्स, माउन्डिंग्स जो कि मैकेनिज्म प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित हो ।	3 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
घ. सादा स्वर्ण/प्लेटिनियम/ चाँदी के जेवरात व सामान या इनका मिश्रण तथा गहने जैसे मंगलसूत्र जिसमें सोना व काले मनके हों, मकली पत्थर, क्यूबिक	7 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।

जिरकोनिया इत्यादि परन्तु हीरा, बहुमूल्य व अर्त्र-बहुमूल्य पत्थर छोड़कर		
ड. मरम्मत/सादे स्वर्ण/ प्लेटिनियम/चाँदी के जेवरातों की मरम्मत/पुनः निर्माण	7 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
च. जड़ित स्वर्ण/प्लेटिनियम/ चाँदी के जेवरात या उससे बना सामान या उसका मिश्रण	10 प्रतिशत सोना/ चांदी/प्लेटिनम का अंश जमा जड़ित का मूल्य 5% से अधिक	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
छ. मरम्मत/स्वर्ण प्लेटिनियम/ चांदी के जड़ित जेबरातों का मरम्मत/पुनः निर्माण	10 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
डायमण्ड		
ज. कट व पालिस्ड डायमण्ड (प्रत्येक कैरेट में वसूली 575 अमेरिकी डालर एफ ओ बी से अधिक हो)	7 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
झ. कट व पालिस्ड डायमण्ड (प्रत्येक कैरेट में वसूली 400 से 575 तक अमेरिकी डालर एफ ओ बी से अधिक है ।)	15 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
कट व पालिस्ड डायमण्ड (प्रत्येक कैरेट में वसूली 260 से 400 अमेरिकी डालर एफ ओ बी)	20 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।

ट. कट व पालिस्ड डायमण्ड (प्रत्येक कैरेट में वसू 125 से 260 अमेरिकी डालर एफ ओ बी तक)	25 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(ग) **सेवाएं** (आई टी इनएबल्ड सेवा के अतिरिक्त)	10 प्रतिशत	0.50 मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।
(घ) सभी अन्य	10 प्रतिशत	एक मिलियन अमेरिकी डालर या आयातित पूंजीगत माल के सी.आई.एफ मूल्य का तिगुना जो भी अधिक हो ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2002

No. 1/2002—2007

S.O. 349(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.1 of the Export and Import Policy, 2002—2007, the Central Government hereby notifies the Export and Import Policy, 2002—2007 as contained in Annexure to this notification. The Policy shall come into force from 1st April, 2002.

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/EXIM Policy/AM03/PC-IV]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Secy.

ANNEXURE

EXPORT AND IMPORT POLICY

(1st April 2002—31st March 2007)

CHAPTER -I

INTRODUCTION

Duration

1.1 In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Export and Import Policy for the period 2002-2007. This Policy shall come into force with effect from 1st April, 2002 and shall remain in force upto 31st March, 2007 and will be co-terminus with the Tenth Five Year Plan (2002-2007). However, the Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy in exercise of the powers conferred by Section-5 of the Act. Such amendment shall be made by means of a Notification published in the Gazette of India.

Transitional Arrangements

1.2 Any Notifications made or Public Notices issued or anything done under the previous Export/ Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy. Licence/certificate/permissions issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for the purpose for which such licence/ certificate/permission was issued unless otherwise stipulated.

1.3 In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that the shipment of the export or import is made within the original validity of the irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.

Objectives

1.4 The principal objectives of this Policy are:

(i) To facilitate sustained growth in exports to attain a share of atleast 1% of global merchandise trade.

(ii) To stimulate sustained economic growth by providing access to essential raw materials, intermediates, components, consumables and capital goods required for augmenting production and providing services.

(iii) To enhance the technological strength and efficiency of Indian agriculture, industry and services, thereby improving their competitive strength while generating new employment opportunities, and to encourage the attainment of internationally accepted standards of quality.

(iv) To provide consumers with good quality goods and services at internationally competitive prices while at the same time creating a level playing field for the domestic producers.

1.5 The objectives will be met through the coordinated efforts of the State Governments and all the departments of the Government of India in general and the Ministry of Commerce and Industry and the Directorate General of Foreign Trade and its network of Regional Offices in particular, with a shared vision and commitment and in the best spirit of facilitation, in the interest of promotion of trade in goods and services.

CHAPTER-2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

Exports and Imports free unless regulated

2.1 Exports and Imports shall be free, except in cases where they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force. The itemwise export and import policy shall be, as specified in ITC(HS) published and notified by Director General of Foreign Trade, as amended from time to time.

Compliance with Laws

2.2 Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any licence/certificate/permission granted to him, as well as provisions of any other law for the time being in force. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods.

Interpretation of Policy

2.3 If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this Policy, or regarding the classification of any item in the ITC(HS) or Handbook (Vol.1) or Handbook (Vol.2), the said question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.

If any question or doubt arises whether a licence/ certificate/permission has been issued in accordance with this Policy or if any question or doubt arises touching upon the scope and content of such documents, the same shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.

Procedure

2.4 The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and the Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook (Vol.1), Handbook (Vol.2) and in ITC(HS) and published by means of a Public Notice. Such

procedures may, in like manner, be amended from time to time.

The Handbook (Vol.1) is a supplement to the EXIM Policy and contains relevant procedures and other details. The benefits available under various schemes of the Policy are given in the Handbook (Vol.1).

Exemption from Policy/ Procedure

2.5 Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to have an adverse impact on trade, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper. The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting ALC if the request is in respect of a provision of Chapter-4 (excluding any provision relating to Gem & Jewellery sector) of the Policy/ Procedure. However, any such request in respect of a provision other than Chapter-4 as given above may be considered only after consulting Policy Relaxation Committee.

Principles of Restriction

2.6 DGFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for:-

(I) Protection of public morals.
(II) Protection of human, animal or plant life or health.
(III) Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices.
(Iv) Prevention of prison labour.
(v) Protection of national treasures of artistic, historic or archeological value.
(vI) Conservation of exhaustible natural resources.
(vII) Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and
(vIII) Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.

Restricted Goods

2.7 Any goods, the export or import of which is restricted under ITC(HS) may be exported or imported only in accordance with a licence/ certificate/ permission or a public notice issued in this behalf.

Terms and Conditions of a Licence/ Certificate/ Permission

2.8 Every licence/certificate/permission shall be valid for the period of validity specified in the licence/ certificate/permission and shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority which may include:

(a) The quantity, description and value of the goods;
(b) Actual User condition;
(c) Export obligation;
(d) The value addition to be achieved; and
(e) The minimum export price.

Licence/ Certificate/ Permission not a Right

2.9 No person may claim a licence/certificate/ permission as a right and the Director General of Foreign Trade or the licensing authority shall have the power to refuse to grant or renew a licence/certificate/permission in accordance with the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

Penalty

2.10 If a licence/certificate/permission holder violates any condition of the licence/certificate/ permission or fails to fulfill the export obligation, he shall be liable for action in accordance with the Act, the Rules and Orders made there under, the Policy and any other law for the time being in force.

State Trading

2.11 Any goods, the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), may be imported or exported by the State Trading Enterprise(s) as specified in the ITC(HS) Book subject to the conditions specified therein. The Director General of Foreign Trade may, however, grant a licence/certificate/permission to any other person to import or export any of these goods.

In respect of goods the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), the State Trading Enterprise(s) shall make any such purchases or sales involving imports or

exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale. These enterprises shall act in a non discriminatory manner and shall afford the enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.

Importer-Exporter Code Number

2.12 No export or import shall be made by any person without an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted. An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted on application by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol.1).

Trade with Neighbouring Countries

2.13 The Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.

Transit Facility

2.14 Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties between India and those countries.

Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement

2.15 In the case of trade with Russia under the Debt Repayment Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required, and anything contained in this Policy, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

Actual User Condition

2.16 Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person. However, if such imports require a licence/certificate/ permission, the actual user alone may import such goods unless the actual user condition is specifically dispensed with by the licensing authority.

Second Hand Goods

2.17 All second hand goods shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with the provisions of this Policy, ITC(HS), Handbook (Vol.1), Public Notice

or a licence/certificate/permission issued in this behalf.

Import of samples 2.18 Import of samples shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol.1).

Import of Gifts 2.19 Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under this Policy. In other cases, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from the DGFT.

Passenger Baggage 2.20 Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage. Samples of such items that are otherwise freely importable under this Policy may also be imported as part of passenger baggage without a licence/certificate/ permission. Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without a licence/certificate/ permission.

Import on Export basis 2.21 New or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports may be imported for export without a licence/certificate/permission on execution of Legal Undertaking/ Bank Guarantee with the Customs Authorities.

Re-import of goods repaired abroad 2.22 Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardisation of technology and re-imported without a licence/certificate/permission.

Import of goods used in projects abroad 2.23 After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence/certificate/permission, used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.

Sale on High Seas 2.24 Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.

Import under Lease Financing 2.25 Permission of licensing authority is not required for import of new capital goods under lease financing.

Clearance of Goods from Customs

2.26 The goods already imported/shipped/arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against the licence/ certificate/ permission issued subsequently.

Execution of BG/LUT

2.27 Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, the importer shall execute a Legal Undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG) with the Customs Authority before clearance of goods through the Customs, in the manner as may be prescribed. In case of indigenous sourcing, the licence/certificate/ permission holder shall furnish BG/LUT to the licensing authority before sourcing the material from the indigenous supplier/nominated agency.

Private/ Public Bonded Warehouses for Imports

2.28 Private/Public bonded warehouses may be set up in the Domestic Tariff Area as per the terms and conditions of notification issued by Department of Revenue. Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such private/public bonded warehouses. Such goods may be cleared for home consumption in accordance with the provisions of this Policy and against Licence/certificate/ permission, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods. If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, the importer of such goods shall re-export the goods.

Free Exports

2.29 All goods may be exported without any restriction except to the extent such exports are regulated by ITC(HS) or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force. The Director General of Foreign Trade may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in the ITC(HS), may be exported without a licence/ certificate/ permission.

Export of samples

2.30 Export of samples shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol.1)

Export of Passenger

2.31 Bonafide personal baggage may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year

Baggage before or after the passenger's departure from India. However, items mentioned as Restricted in ITC(HS) shall require a licence/certificate/permission, except in the case of edible items.

Export of Gifts 2.32 Goods, including edible items, of value not exceeding Rs.1,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift. However, items mentioned as restricted for exports in ITC(HS) shall not be exported as a gift, without a licence/ certificate/ permission, except in the case of edible items.

Export of Spares 2.33 Warranty spares, whether indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods may be exported upto 7.5% of the FOB value of the exports of such goods alongwith the main equipment or subsequently but within the contracted warranty period of such goods.

Third Party Exports 2.34 Third party exports, as defined in paragraph 9.56 shall be allowed under the Policy.

Export of Imported Goods 2.35 Goods imported, in accordance with this Policy, may be exported in the same or substantially the same form without a licence/certificate/ permission provided that the item to be imported or exported is not mentioned as restricted for import or export in the ITC(HS). Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.

2.36 Goods, including those mentioned as restricted item for import or export (except prohibited items) in ITC(HS), may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without a licence/certificate/ permission.

Export of Replacement Goods 2.37 Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by the customs authorities provided that the replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC(HS).

Export of Repaired Goods 2.38 Goods or parts thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be

Imported for repair and subsequent re-export. Such goods shall be allowed clearance without a licence/certificate/ permission and in accordance with customs notification issued in this behalf.

Private Bonded Warehouses for Exports 2.39 Private bonded warehouse exclusively for exports may be set up in DTA as per the terms and conditions of the notifications issued by Department of Revenue. Such warehouse shall be entitled to procure the goods from domestic manufacturers without payment of duty. The supplies made by the domestic supplier to the notified warehouses shall be treated as physical exports provided the payments for the same are made in free foreign exchange.

Denomination of Export Contracts 2.40 All export contracts and invoices shall be denominated in freely convertible currency and export proceeds shall be realised in freely convertible currency. Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. The Central Government may relax the provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/Government of India line of credit.

Realisation of Export Proceeds 2.41 If an exporter fails to realise the export proceeds within the time specified by the Reserve Bank of India, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law for the time being in force, be liable to action in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and the provisions of this Policy.

Free movement of export goods 2.42 Consignments of items meant for exports shall not be withheld/delayed for any reason by any agency of the Central/ State Government. In case of any doubt, the authorities concerned may ask for an undertaking from the exporter.

No seizure of Stock 2.42.1 No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt the manufacturing activity and delivery schedule of export goods. In exceptional cases, the concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.

Export Promotion Council

2.43 The basic objective of export promotion councils is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The list of the councils, and their main functions are given in Handbook (Vol.1).

Registration - cum- Membership Certificate

2.44 Any person, applying for (i) a licence/ certificate/ permission to import/ export, [except items listed as restricted items in ITC(HS)] or (ii) any other benefit or concession under this policy shall be required to furnish Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) granted by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol.1) unless specifically exempted under the Policy.

CHAPTER-3

PROMOTIONAL MEASURES

Central Assistance to States

3.1 In furtherance to the methodology outlined in Paragraph 1.5 the State Governments shall be encouraged to fully participate in encouraging exports from their respective states. For this purpose, suitable provisions shall be made in the Annual Plan of the Department of Commerce for allocation of funds to the states on the twin criteria of gross exports and the rate of growth of exports from different states. The States shall utilise this amount for developing complementary and critical infrastructure such as roads connecting production centres with the ports, setting up of Inland Container Depots and Container Freight Stations, creation of new State level export promotion industrial parks/zones, augmenting common facilities in the existing zones, equity participation in infrastructure projects and any other activities as may be notified by DGFT from time to time.

Market Access Initiative

3.2 Financial assistance shall be available under the scheme to the export promotion councils, industry and trade associations and other eligible entities, as may be notified from time to time, on the basis of the competitive merits of proposals received in this regard for the following purposes which inter-alia includes:-

i) Marketing studies on country product focus approach basis.
ii) Setting up of common showrooms under one roof and warehousing facility in the identified centres on the basis of marketing studies in important cities abroad.
iii) Participation in sales promotion campaigns through international departmental stores.
iv) Publicity campaign for launching identified products in selected markets.
v) Participation in international trade fairs, seminars, buyers sellers meet.
vi) Promotion of select brands.
vii) Transport subsidies for select agriculture products.
viii) Registration charges for product registration abroad for pharmaceuticals, bio-technology and agro chemicals and testing charges for engineering products.

ix) Inland freight subsidies for units located in North East, Sikkim and Jammu &Kashmir.

x) Setting up of "business centre" in Indian missions abroad for visiting Indian exporters/businessmen.

Towns of Export Excellence

3.3 A number of towns in specific geographical locations have emerged as dynamic industrial locations handsomely contributing to India's exports. These "Industrial Clusters " rooted in history symbolise the bursting forth of the free market spirit and are essentially collective response to common problems of competitiveness. Some have become globally renowned manufacturing bases. It is necessary to grant recognition to these industrial cluster items with a view to maximize their export profiles and help in upgrading them to move up in the higher value markets.

A number of such industrial cluster towns are exporting a substantial portion of their products which are world class. For example, Tirupur is exporting 80% of its production of hosiery. A beginning is being made to consider industrial cluster towns such as Tirupur for hosiery, woollen blanket in Panipat, woollen knitwear in Ludhiana to be eligible for the following benefits:-

Common service providers in these areas shall be entitled for facility of EPCG scheme. The recognised associations of units will be able to access the funds under the Market Access Initiative scheme in Paragraph 3.2 for creating focused technological services. Further such areas will receive priority for assistance for identified critical infrastructure gaps from the scheme on Central Assistance to States mentioned in paragraph 3.1. The units in these notified areas would be eligible for availing all the EXIM policy schemes as per their choice and the provisions of those schemes shall stand relaxed to the extent provided in this paragraph in respect of such units.

Special Focus on Cottage and Handicraft Sector

3.4 The small scale sector alongwith the cottage and handicraft sector has been contributing to more than half of the total exports of the country. The cottage and handicrafts sector which mostly employs artisan and rural people contributes significantly to this effort. In recognition of the export performance of this sector and to further increase its competitiveness, the following facilities shall be extended to this sector.

i) The unit in this sector shall be eligible for funds from Market Access Initiative (MAI) scheme as given in paragraph 3.2 of this Policy. Funds shall be earmarked for this sector in the MAI scheme. The funds shall be utilised for developing their website for virtual exhibition, among other activities,

ii) Under the EPCG scheme, these units will not be required to maintain average level of exports as given in paragraph 5.5(ii) of this Policy;

iii) These units shall be entitled to the benefit of export house status on achieving lower average export performance of Rs.5 crore during the preceding three licensing years as given in paragraph 3.7.2 of this Policy; and

iv) The units in handicraft sector shall be entitled to duty free imports of specified items upto 3% of FOB value of their exports.

Agri Export Zones (AEZ)

3.5.1 With a view to promoting agricultural export from the country and remunerative returns to the farming community in a sustained manner, AEZ as announced earlier would be set up for end to end development for export of specific products from a geographically contiguous area.

3.5.2 AEZ would be identified by the State Government, who may evolve a comprehensive package of services provided by all State Government agencies, State agriculture universities and all institutions and agencies of the Union Government for intensive delivery in these zones.

3.5.3 Such services which would be managed and co-ordinated by State Government would include provision of pre/post harvest treatment and operations, plant protection, processing, packaging, storage and related research & development etc. APEDA will supplement, within its schemes and provisions, efforts of State Governments for facilitating such exports.

3.5.4 Units in AEZ would be entitled for all the facilities available for exports of goods in terms of provisions of the respective schemes.

Brand Promotion and Quality

3.6.1 The Central Government aims to encourage manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to trade and industry to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

State Programmes

3.6.2 The Central Government will encourage and assist State Governments in launching similar programmes in their respective States, particularly for the small scale and handicraft sectors.

Test Houses

3.6.3 The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards.

Quality Complaints/ Disputes

3.6.4 The Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at the Regional Offices of the Directorate General of Foreign Trade shall investigate quality complaints received from foreign buyers. The guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, is given in Appendix- 37 of Handbook (Vol.1).

3.6.5 If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner gravely prejudicial

(I) to the trade relations of India with any foreign country;

(II) to the interest of other persons engaged in exports or imports;

(iii) has brought disrepute to the credit or the goods of the country;

The Director General Foreign Trade may take action against the exporter or importer concerned in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy.

Status Certificate

3.7.1 Merchant as well as Manufacturer exporters, Service providers, Export Oriented Units (EOUs)/ units located in Export Processing Zones (EPZs)/Special Economic Zone(SEZ's)/Agri Export Zone (AEZs)/ Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs)/ Software Technology Parks (STPs) shall be eligible for such recognition.

Export Performance Level

3.7.2 The applicant is required to achieve the prescribed average export performance level:

Category	**Average FOB / FOR value during the preceding three licensing years, in Rupees**
Export House	15 crore
Trading House	100 crore
Star Trading House	500 crore
Super star trading house	2000 crore

Note: 1. Units in Small Scale Industry/Tiny Sector/Cottage Sector/Units registered with KVICs or KVIBs/ Units located in North Eastern States, Sikkim and J&K/ Units exporting handloom, handicrafts, hand knotted carpets, silk carpets/exporters holding golden status/ exporters exporting to countries in Latin America and CIS/sub Saharan Africa, units having ISO 9000 (series) status, shall be entitled for export house status on achieving average FOB/FOR value of Rs.5 crore during the preceding three licensing years. The same threshold limit shall be applicable to the service exporters and agri exporters (other than grains) for obtaining Export house status.

2. Export made on re-export basis shall not be counted for the purpose of recognition.

3. The exports made by a subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of the limited company for the purpose of recognition. For this purpose, the company shall have the majority share holding in the subsidiary company.

Special Strategic Package for Status Holders

3.7.2.1 The status holders shall be eligible for the following new/ special facilities:

I) Licence/certificate/permissions and Customs clearances for both imports and exports on self-declaration basis.

ii) Fixation of Input-Output norms on priority;

iii) Priority Finance for medium and long term capital requirement as per conditions notified by RBI;

iv) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. The remittance, however, would continue to be received through banking channels;

v) 100% retention of foreign exchange in EEFC account;

vi) Enhancement in normal repatriation period from 180 days to 360 days.

Validity Period 3.7.3 All status certificates issued or renewed on or after 1.4.2002 shall be valid from 1st April of the licensing year during which the application for the grant of such recognition is made upto 31st March, 2007, unless otherwise specified. On the expiry of such certificate, application for renewal of status certificate shall be required to be made within a period as prescribed in the Handbook (Vol.1). During the said period, the status holder shall be eligible to claim the usual facilities and benefits.

Transitional Arrangement 3.7.4 The status certificates expiring on 31st March, 2002 shall be deemed to have been extended upto 31st March, 2004. However, further renewal shall be granted on achieving the threshold limit prescribed in the Policy.

Service Exports 3.8 "Services" include all the 161 tradable services covered under the General Agreement on Trade in Services where payment for such services is received in free foreign exchange. A list of services is given in Appendix-36 of Handbook (Vol.1).

The service providers as defined in paragraph 9.47, rendering services listed in Appendix–36 shall be entitled for all the facilities mentioned in the Policy. All provisions of the Policy shall apply mutatis-mutandis to such export of services as they apply to goods.

Electronic Data Interchange 3.9 In an attempt to speed up the transactions, reduce physical interface and to bring about transparency in various activities related to exports, electronic data interchange would be encouraged. Applications received electronically shall be cleared within 24 hours.

CHAPTER-4

DUTY EXEMPTION/REMISSION SCHEME

Duty Exemption/ Remission Scheme

4.1 The Duty Exemption Scheme enables duty free import of inputs required for export production. An Advance Licence is issued under Duty Exemption Scheme. The Duty Remission Scheme enables post export replenishment/ remission of duty on inputs used in the export product. Duty Remission scheme consist of (a) DFRC and (b) DEPB. DFRC permits duty free replenishment used in the export product. The DEPB scheme allows drawback of import charges on inputs used in the export product.

Advance Licence

4.1.1 An Advance Licence is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts etc. which are consumed in the course of their use to obtain the export product, may also be allowed under the scheme. Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the licence which are required to be exported/ supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Licence. Advance Licence can be issued for:-

a) Physical exports:- Advance Licence may be issued for physical exports to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) for import of inputs required for the export product.

b) Intermediate supplies:- Advance Licence may be issued for intermediate supply to a manufacturer-exporter for the import of inputs required in the manufacture of goods to be supplied to the ultimate exporter/ deemed exporter holding another Advance Licence.

c) Deemed exports:- Advance Licence can be issued for deemed export to the main contractor for import of inputs required in the manufacture of goods to be supplied to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d) (e) (f),(g) (i) and (j) of the Policy.

In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d) (e) (f),(g) and (j) of the Policy, an Advance Licence for deemed export can

also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub contractor(s) appears in the main contract. Such licence for deemed export can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchange.

4.1.2 Advance Licence is issued for duty free import of inputs, as defined in paragraph 4.1.1 subject to actual user condition. Such licences (other than Advance Licence for deemed exports) are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, anti dumping duty and safeguard duty, if any. However, Advance Licence for deemed export shall be exempted from basic customs duty and additional customs duty only.

4.1.3 Advance Licence and/or materials imported thereunder shall not be transferable even after completion of export obligation.

4.1.4 Advance Licences (including Advance Licence for deemed exports and intermediate supply) shall be issued with a positive value addition. However, for exports for which payments are not received in freely convertible currency, the same shall be subject to value addition as specified in Appendix-32 of Handbook (Vol.1), 2002-07.

4.1.5 Advance Licence shall be issued in accordance with the Policy and procedure in force on the date of issue of licence and shall be subject to the fulfillment of a time bound export obligation as may be specified.

4.1.6 The facility of Advance Licence shall also be available where some of the inputs are supplied free of cost to the exporter. In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs alongwith value of other duty-free inputs shall be taken into consideration.

Export Obligation

4.1.7 The period for fulfillment of the export obligation under Advance Licence shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).

Advance Release Orders

4.1.8 An Advance Licence holder (except Advance Licence for intermediate supply) and holder of DFRC intending to source the inputs from indigenous sources/state trading

enterprises/ EOU/ EPZ/SEZ/ EHTP/STP units in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Orders denominated in foreign exchange/Indian rupees. The transferee of a DFRC shall also be eligible for ARO facility.

Back-to-Back Inland Letter of Credit

4.1.9 An Advance Licence holder, (except Advance Licence for Intermediate supply) and holder of DFRC may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit in accordance with the procedure specified in Handbook (Vol.1).

Prohibited Items

4.1.10 Prohibited items of imports mentioned in ITC(HS) shall not be imported under the licence issued under the scheme.

Compliance with Export Policy

4.1.11 Goods mentioned as restricted for exports in ITC(HS) may be exported without specific export licence/ certificate/ permission under Advance Licence for physical exports issued with prior import condition. In such cases, the licence/certificate/permission holder shall not be allowed to use indigenous inputs and the export product shall be manufactured only out of imported inputs under Advance Licence for physical exports.

Re-import of Exported Goods under Duty Neutralisation Scheme

4.1.12 Goods exported under Advance Licence/ DFRC/ DEPB may be re-imported in the same or substantially the same form subject to such conditions as may be specified by the Department of Revenue from time to time.

Admissibility of Drawback

4.1.13 In the case of an Advance Licence, the drawback shall be available in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the goods exported, as per the drawback rate fixed by Ministry of Finance (Directorate of Drawback). The Drawback shall however be restricted to the duty paid materials as mentioned in the licence.

Value Addition

4.1.14 The value addition for the purposes of this chapter shall be:-

$$V.A = \frac{A - B}{B} \times 100, \text{ where}$$

V.A is Value Addition

A Is the FOB value of the export realised /FOR value of supply received.

B Is the CIF value of the imported inputs covered by the licence, plus any other imported materials used on which the benefit of duty drawback is being claimed.

Duty Free Replenishment Certificate

4.2 DFRC is issued to a merchant-exporter or manufacturer-exporter for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of basic customs duty, and special additional duty. However, such inputs shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import.

4.2.1 DFRC shall be issued on minimum value addition of 33%.

4.2.2 DFRC may be issued in respect of exports for which payments are received in non-convertible currency. Such exports shall, however, be subject to value addition and conditions as specified in Appendix-32 of Handbook (Vol.1).

4.2.3 DFRC shall be issued only in respect of export products covered under the SIONs as notified by DGFT. However, DFRC shall not be issued in respect of SIONs which are subject to "actual user" condition or where the input is allowed with prior import condition or where the norms allow import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine in the Handbook (Vol-II).

However DFRC may be issued for SIONs allowing import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine provided these items are specifically deleted from the list of import items.

4.2.4 DFRC shall be issued for import of inputs as per SION as indicated in the shipping bills. The validity of such licences shall be 18 months. DFRC and or the material(s) imported against it shall be freely transferable.

4.2.5 The export products, which are eligible for modified VAT, shall be eligible for CENVAT credit. However, non excisable, non dutiable or non centrally vatable products, shall be eligible for drawback at the time of exports in lieu of additional customs duty to be paid at the time of imports

4.2.6 The exporter shall be entitled for drawback benefits in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the export product as per the drawback rate fixed by Directorate of Drawback (Ministry of Finance). The drawback shall however be restricted to the duty paid materials not covered under SION.

Jobbing, Repairing etc. for re-export

4.2.7 Import of goods, including those mentioned as restricted in ITC(HS) but excluding prohibited items, in terms of paragraph 4.1.1 supplied free of cost, may be permitted for the purpose of jobbing without a licence/ certificate/ permission as per the terms of notification issued by Department of Revenue from time to time.

Duty Entitlement Passbook Scheme

4.3 The objective of DEPB is to neutralise the incidence of Customs duty on the import content of the export product. The neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against the export product.

4.3.1 Under the DEPB, an exporter may apply for credit, as a specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency. The credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by the Director General of Foreign Trade by way of public notice issued in this behalf, for import of raw materials, intermediates, components, parts, packaging material etc.

4.3.2 The holder of DEPB shall have the option to pay additional customs duty, if any, in cash as well.

Validity

4.3.3 The DEPB shall be valid for a period of 12 months from the date of issue.

Transferability

4.3.4 The DEPB and/or the items imported against it are freely transferable. The transfer of DEPB shall however be for import at the port specified in the DEPB, which shall be the port from where exports have been made. Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

Applicability of Drawback 4.3.5 Normally, the exports made under the DEPB Scheme shall not be entitled for drawback. However, the additional customs duty/excise duty paid in cash on inputs under DEPB shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue. In cases, where the additional customs duty is adjusted from DEPB, no benefit of CENVAT/ Drawback shall be admissible.

Scheme for Gem and Jewellery 4.4 Exporters of gem and jewellery are eligible to import their inputs by obtaining Replenishment (REP) Licences from the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

Replenishment Licence 4.4.1 The exporters of gem and jewellery products listed in Appendix-26 of the Handbook (Vol.1) shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs. Replenishment licence may also be issued for import of consumables as per the details given in paragraph 4.80 of Handbook (Vol.1).

Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/ Grading 4.4.2 Gems and Jewellery exporters with a track record of at least three years and having an annual average turnover of Rs.5 crores and above during the preceding three licensing years or the authorised offices /agencies in India of Gemological Institute of America (GIA), The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) and European Gemological Laboratory (EGL) in USA, Hoge Road Voor Diamand, Antwerp, (HRD), World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium may be permitted to export cut & polished diamonds each weighing 0.50 of a carat and above to the said laboratories/agencies, for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-imported with the certificate/grading reports issued by them without any import duty at the time of re-import.

4.4.2.1 At the time of export of cut and polished diamonds for certification/grading, exporter should give an undertaking to the customs that the cut and polished diamonds will be re-imported within three months of exports for certification/ grading. The export invoice should clearly indicate the estimated value, height, circumference, weight of each diamond to be exported for certification/ grading so that at the time of their import, the above specification could be compared with the original ones to establish their identity. Subsequently these cut and polished diamonds would be exported as per the provisions of the Policy.

Schemes for Gold/ Silver/ Platinum Jewellery

4.4.3 Exporters of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.

Nominated Agencies

4.4.4 The exporter availing the schemes of gold/ silver/platinum jewellery and articles thereof may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies. The nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), The Project and Equipment Corporation of India Ltd (PEC) and any agency authorised by Reserve Bank of India (RBI). A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import in the form of standard gold bars.

Items of Export

4.4.5 The following items, if exported, would be eligible for the facilities under these schemes:

(a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;

(b) Silver jewellery including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;

(c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

Value Addition 4.4.6 The value addition will be as given in Handbook (Vol.1).

Wastage Norms 4.4.7 Under the schemes for gold/silver/platinum jewellery, the wastage or manufacturing loss shall be admissible as specified in the Handbook (Vol.1).

Export Against Supply by Foreign Buyer 4.4.8 Where export orders are placed on the nominated agencies/ status holder/ exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five Crore during the preceding three licensing years, the foreign buyer may supply to the nominated agencies/status holder/ exporter, in advance and free of charge, gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum for manufacture and export. The exports may be made by the nominated agencies directly or through their associates or by the status holder/exporter as the case may be. The import and export of findings shall be on net to net basis. The foreign buyer may also supply to the nominated agencies/status holder/ exporter in advance and free of charge plain, semi finished gold/silver/platinum jewellery including findings/ mountings/ components for repairs/re-make and export subject to minimum value addition of 10%. However, if the so imported semi finished gold/silver /platinum jewellery is exported as studded jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export, wastage of 2% may be permitted.

The procedures in this regard shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1)

Export Through Exhibitions/ Export Promotion Tours/Export of Branded Jewellery 4.4.9 The nominated agencies and their associates, with the approval of Department of Commerce, and others, with the approval of Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold/ silver/platinum jewellery and articles thereof for holding/participating in exhibitions abroad. Personal carriage of gold/ silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted. These exports shall be subject to the conditions as given in the Handbook (Vol.1).

Export Against 4.4.10 The exporter may obtain the gold/silver/platinum as an input

Supply by Nominated Agencies

for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with the procedure specified in this behalf.

Export Against Advance Licence

4.4.11 An Advance Licence may be granted for the duty free import of:

(a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;

(b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;

(c) Platinum of fineness not less than 0.900, mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

4.4.12 Such licences shall carry an export obligation which will be required to be fulfilled in accordance with the procedure specified in this behalf.

The Advance Licence holder may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies in lieu of direct import in accordance with the procedure specified in this behalf.

Gem Replenishment Licence

4.4.13 Gem Replenishment (Gem REP) Licence may be issued under the schemes for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof as given in paragraph 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10 and 4.4.11 of the Policy. In the case of plain gold/silver/platinum jewellery and articles, the value of such licences shall be determined with reference to the realisation in excess of the prescribed minimum value addition. In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Licence shall be determined by taking into account the value of studdings used in items exported, after accounting for the value addition on gold/silver/platinum including admissible wastage. Such Gem REP licences shall be freely transferable.

Gem REP Rate and Item

4.4.14 The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 26A of Handbook (Vol.1).

Personal

4.4.15 Personal carriage of gems and jewellery export parcels by

Carriage of Export/ Import Parcels

foreign bound passengers and personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian Importer/foreign national may be permitted as per the conditions given in Handbook (Vol.1).

Diamond Imprest Licence

4.4.16 Diamond Imprest Licence for import of cut & polished diamonds including semi processed diamonds, half cut diamonds, broken in any form, for mixing with cut & polished diamonds or for export as it is, may be issued for export of cut & polished diamonds. Such licences shall carry an export obligation, which has to be discharged in accordance with the procedure specified in this behalf.

Eligibility

4.4.16.1 An exporter of cut & polished diamonds who is status holder may be issued a licence for import of cut & polished diamonds upto 5% of the export performance of the preceding year of cut & polished diamonds.

Export Obligation

4.4.16.2 The export obligation against each consignment shall be fulfilled within a period of five months from the date of clearance of such consignment through Customs. However, at no point of time, the importer shall be required to maintain records of individual import consignments nor will they be required to co-relate export consignments with the corresponding import consignments towards fulfillment of export obligation.

Private/ Public Bonded Warehouse

4.4.17 Private/Public Bonded Warehouses may be set up in EPZ/DTA for import and re-export of cut & Polished diamonds, cut & polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi-precious stones. Import & re-export of cut & polished diamonds & cut & polished coloured gemstones will be subject to achievement of minimum value addition of 5%.

CHAPTER-5

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

EPCG Scheme

5.1 The scheme allows import of new capital goods including CKD/SKD thereof as well as computer software systems at 5% Customs duty subject to an export obligation equivalent to 5 times CIF value of capital goods to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence over a period of 8 years.

However, in respect of EPCG licences for Rs.100 crore or more, the same export obligation shall be required to be fulfilled over a period of 12 years.

The capital goods shall include jigs, fixtures, dies and moulds. Spares may also be imported under the scheme upto 20% of the CIF value of capital goods. EPCG licence may also be issued for import of components of such capital goods required for assembly or manufacturer of capital goods by the licence holder.

Eligibility

5.2 The scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.

Conditions for Import of Capital Goods

5.3 Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till the export obligation is completed.

Export Obligation

5.4 The following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:-

5.5 (i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods capable of being manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme. The export obligation may also be fulfilled by the export of same goods, for which EPCG licence has been obtained, manufactured or produced in different manufacturing units of the licence holder/ specified supporting manufacturer(s)/ vendor(s).

However, if exporter is processing further to add value on the goods so manufactured, the export obligation shall stand enhanced by 50%.

(ii) The export obligation under the scheme shall be, in addition to any other export obligation undertaken by the importer, except the export obligation for the same product under Advance Licence, DFRC, DEPB or Drawback scheme. The export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for same and similar products except for categories mentioned in Handbook (Vol.1).

5.5.1 Any firm/ company acquiring a unit which is under BIFR shall be allowed 12 years for fulfilment of export obligation reckoned from the date of issuance of licence . This dispensation would be only for EPCG licences taken by the BIFR unit.

Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to domestic supplier

5.6 A person holding an EPCG licence may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of importing them. The domestic manufacturer supplying capital goods to EPCG licence holders shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of the Policy.

Benefits to domestic Supplier

5.7 In the event of a firm contract between the EPCG licence holder and domestic manufacturer for such sourcing, the domestic manufacturer may apply for the issuance of Advance Licence for deemed exports for the import of inputs including components required for the manufacturer of said capital goods.

The domestic manufacturer may also replenish the inputs including components after supply of capital goods to the EPCG licence holders. The export obligation relating to the EPCG licence shall be reckoned with reference to the CIF value of the licence actually utilized.

5.8 Service provider in Agri export zone shall have the facility to move or shift the capital goods within the zone provided he maintains accurate record of such movements. However, such equipments shall not be sold or leased by the licence holder.

CHAPTER- 6

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES (EPZs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs) AND SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs)

Eligibility

6.1 Units undertaking to export their entire production of goods and services may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Export Processing Zone (EPZ) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme or Software Technology Park (STP) Scheme. Such units may be engaged in manufacture, services, repair, remaking, reconditioning, re-engineering including making of gold/ silver/ platinum jewellery and articles thereof, agriculture, including agro-processing, aquaculture, animal husbandry, bio-technology, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture and granites and may export all products except restricted and prohibited items of exports in ITC (HS). Units for generation/distribution of power may also set up in EPZs. No trading units shall be permitted.

Export and import of goods

6.2 (a) An EOU/EPZ/EHTP/STP unit may export goods and services including agro-products, partly processed jewellery, sub-assemblies and components. It may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the production process.

(b) An EOU/EPZ/EHTP/STP unit may import without payment of duty all types of goods, including capital goods, as defined in the Policy, required by it for its activities as mentioned in paragraph 6.1 above or in connection therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC (HS). The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

(c) EOU/EPZ/EHTP/STP units may procure goods required by it for its activities or in connection

therewith, without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy and from International Exhibitions held in India.

(d) STP/EHTP/EPZ may import without payment of duty all types of goods for creating a central facility for use by software development units in STP/EHTP/EPZ. The central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.

(e) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may import without payment of duty only such goods as are permitted to be imported duty free under a Custom Notification issued in this behalf.

(f) Further EOUs in agriculture and horticulture engaged in contract farming shall be permitted to import/procure from DTA specified goods as at Appendix 14-B of Handbook (Vol.1) and take out the same to the fields of contract farmers for production or in connection therewith and bringing back the produce for exports.

(g) EOU/EPZ gem and jewellery units may also source gold/silver/platinum through the nominated agencies.

(h) EOU/EPZ/EHTP/STP unit, other than service units, may also export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer subject to RBI clearance, if any.

Second hand Capital Goods 6.3 Second hand capital goods may also be imported without payment of duty.

Leasing of Capital Goods 6.4 An EOU/EPZ/EHTP/STP unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company. In such a case, the EOU/EPZ/EHTP/STP unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/ procurement of the capital goods without payment of duty.

Net Foreign Exchange earning as a Percentage of exports (NFEP) and Minimum Export Performance (EP)

6.5 The minimum Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Exports (NFEP) and the minimum Export Performance (EP) shall be as specified in Appendix I of the Policy. Items of manufacture for export specified in the Letter of Permission (LOP)/ Letter of Intent (LOI) alone shall be taken into account for calculation of NFEP and EP.

Letter of Permission/ Letter of Intent and Legal Undertaking

6.6 (a) On approval, a Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) shall be issued by the Development Commissioner to EOU/EPZ/EHTP/STP unit. The LOP/LOI shall have an initial validity of 3 years. Its validity may be extended by another 3 years, beyond initial validity, by the competent authority.

(b) LOP/LOI issued to EOU/EPZ/EHTP/STP units by the concerned authority would be construed as a licence for all purposes, including for procurement of raw materials and consumables either directly or through designated State Trading Enterprise. Standard format for LOP/LOI for EOU/EPZ units is given in Appendix 14-C.

(c) The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to fulfil the performance, as stipulated in Appendix I of the Policy, it would be liable to penalty in terms of the legal undertaking or under any other law for the time being in force.

Application and Approvals

6.7 (a) Only project having an investment of not less than Rs.50 lakhs and above in plant and machinery shall be considered for establishment under EOU scheme. (This shall however not apply to existing units and units in EPZ/EHTP/STP/ agriculture/ floriculture/aquaculture/ animal husbandry/ information technology, services and such other sectors as may be decided by the BOA). Applications for setting up of EOU/EPZ/EHTP/STP units, satisfying the conditions mentioned in paragraph 6.7 of the Handbook (Vol-I) may be approved by the concerned Development Commissioner within 15 days.

(b) In other cases, approval may be granted by the Board of Approval (BOA) set up for this purpose as notified and indicated at Appendix 14-B.

(c) Proposals requiring industrial license may be considered by the Board of Approval on a case to case basis.

DTA Sale of finished products/ rejects waste/ scrap/ remnants and by-products

6.8 The entire production of EOU/EPZ/EHTP/STP units shall be exported subject to the following:

(a) Unless specifically prohibited in the LOP/LOI, rejects may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA) on payment of duties as applicable to sale under paragraph 6.8(b) of the Policy, on prior intimation to the Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement under paragraph 6.8(b) of the Policy. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFEP.

(b) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods/ services upto 50 % of FOB value of exports, subject to fulfilment of minimum NFEP as prescribed in Appendix-I of the Policy on payment of applicable duties. Sales made to a private bonded warehouse set up under paragraph 2.39 of the policy shall also be taken into account for the purpose of arriving at FOB value of exports by EOU/EPZ units provided payment for such sales are made from EEFC account. No DTA sale shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, tea (except instant tea) and books or by a packaging/labelling /segregation/ refrigeration unit and such other items as may be notified from time to time.

(c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA subject to fulfilment of NFEP as prescribed in Appendix 1 of the Policy. In respect of sales of plain jewellery, the recipient shall pay concessional rate of duty to the Customs in Indian rupees as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable

in Indian rupees as notified by Customs.

(d) Scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be exported or sold in the DTA on payment of duties as applicable under paragraph 6.8 (b) of the Policy within the overall ceiling of 50% of FOB value of exports but shall not be subject to achievement of minimum NFEP. Sale of waste/scrap/remnants by units not entitled to DTA sale or sales beyond the DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties.

(e) There shall be no duties/taxes on such scrap/waste/ remnants in case the same are destroyed with the permission of Customs authorities.

(f) EOU/EPZ/EHTP/STP units may be permitted to sell finished products which are freely importable under the Policy in the DTA over and above the levels permissible under sub paragraph (b) above against payment of full duties, provided they have achieved the NFEP and EP as per Appendix-I of the Policy.

Such sales may also be permitted in exceptional cases without achievement of NFEP/EP.

(g) For services, including software units, sale in the DTA in any mode, including on-line data communication, shall be permissible up to 50% of FOB value of exports and/or 50% of foreign exchange earned, where payment for such services is received in free foreign exchange.

(h) By-products included in the LOP/LOI may also be sold in the DTA subject to achievement of NFEP and on payment of applicable duties within the overall entitlement of paragraph 6.8 (b) of the Policy. Sale of by-products by units not entitled to DTA sales or beyond the entitlements of paragraph 6.8(b) shall also be permissible on payment of full duties.

Note: In the case of units manufacturing electronics hardware and software, the NFEP and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.

Other Supplies in DTA

6.9 The following supplies in DTA shall be counted towards fulfillment of NFEP/EP :

(a) Supplies effected in DTA in terms of paragraph 8.2 of the Policy

(b) Supplies effected in DTA against payment from the Exchange Earners Foreign Currency (EEFC) Account of the buyer in the DTA or against foreign exchange remittance received from overseas.

(c) Supplies to other EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ units provided that such goods are permissible for procurement in terms of paragraph 6.2 of the Policy.

(d) Supplies made to private bonded warehouses set up under paragraph 2.39 of the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act.

(e) Supply of goods against special entitlement of duty free import of goods.

(f) Supply of goods to Defence and Internal security forces, foreign missions/ diplomats provided they are entitled for duty free imports of such items in terms of general exemption notification issued by Ministry of Finance.

(g) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in India Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.

(h) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-I) items, provided that the items are manufactured in the unit and attract zero rate of basic customs duty.

Export through status holder

6.10 An EOU/EPZ/EHTP/STP unit may export goods manufactured by it through a merchant exporter/status holder recognized under this Policy or any other EOU/ EPZ/ EHTP/STP/SEZ unit.

Samples 6.11 Procedure for export/supply of samples by EOU/EPZ/EHTP/STP units is given in paragraph 6.11 of the Handbook Vol-I.

Entitlement for supplies from the DTA 6.12 (a) Supplies from the DTA to EOU/EPZ/EHTP/STP units will be regarded as "deemed exports" and the DTA supplier shall be eligible for the relevant entitlements under paragraph 8.3 of this Policy besides discharge of EP if any, on the supplier. In addition the EOU/EPZ/EHTP/STP units shall be entitled to the following:-

i) Reimbursement of Central Sales Tax.
ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on all goods as per entitlement under Paragraph 6.2 of the Policy.
iii) Reimbursement of Central Excise Duty paid on bulk tea procured from licenced auction centres by Development Commissioner of concerned Zone so long as levy on bulk tea in this regard is in force.
iv) Reimbursement of Duty paid on fuels procured from domestic oil companies, by the Development Commissioner of the concerned Zone as per the rate of Drawback notified by the Directorate General of Foreign Trade from time to time.

(b) Supplier of cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU/EPZ units shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in Appendix-13 of the Handbook (Vol.1).

The entitlements under paragraph (a) (i) and (ii) above shall be available provided the goods supplied are manufactured in India.

Other Entitlements 6.13 Other entitlements of EOU/EPZ/EHTP/STP units are indicated in the Handbook (Vol-I).

Inter Unit Transfer 6.14 (a) Transfer of manufactured goods from one EOU/EPZ/ EHTP/STP unit to another EOU/EPZ/ EHTP/ STP/SEZ unit will be allowed.

(b) Goods imported/procured by an EPZ unit may be transferred or given on loan or lease to another EPZ unit in the same Zone which shall be duly accounted for, but not counted towards discharge of export performance.

(c) Capital goods may be transferred or given on loan with prior permission of the concerned Development Commissioner/ Customs authorities.

Sub-Contracting 6.15 (a) The EOU/EPZ/EHTP/STP units other than gem and jewellery units, may on the basis of annual permission from the Customs authorities, sub-contract production process in DTA, which may also involve change of form or nature of the goods, through job work by units in the DTA. These units may also sub-contract up to 50% of the overall production of previous year in value terms for job work in DTA with the permission of Customs authorities.

Sub-contracting of both production and production process may also be undertaken without any limit through other EOU/EPZ/EHTP/STP/SEZ units on the basis of records maintained in the unit.

Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Board of Approval.

(b) EOU/EPZ units may, on the basis of annual permission from the Custom Authorities, undertake job-work for export, on behalf of DTA exporter, provided the goods are exported directly from the EOU/EPZ units and export documents are in the name of the DTA exporter. For such exports, the DTA units will be entitled to refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.

(c) The scrap/waste/remnants generated at the job worker's premises may be either cleared from the job worker's premises on payment of duty or returned to the supplying unit.

(d) Gems and jewellery EOU/EPZ units are allowed to receive plain gold/silver/ platinum jewellery, including findings, components and semi-finished jewellery from DTA against exchange of equivalent quantity of gold / silver/ platinum, as the case may be, contained in the said jewellery. The DTA units supplying such jewellery against exchange of gold/silver/platinum shall not be entitled for deemed export benefits. The EOU/EPZ units shall not be eligible for wastage or manufacturing loss against jewellery.

Sale of Un-utilised Material

6.16 (a) In case an EOU/EPZ/EHTP/STP unit is unable, for valid reasons, to utilize the goods, imported or procured from DTA, it may dispose them in the DTA on payment of applicable duties and submission of import license by DTA unit, wherever applicable or export. Supply from one EOU/EPZ/EHTP/STP unit to another such unit would be treated as import under this paragraph.

(b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus, may either be exported, transferred to another EOU/EPZ/EHTP/STP or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA. No duty shall be payable if the goods are destroyed with the permission of Customs authorities and under intimation to Development Commissioner.

Reconditioning Repair and Re-engineering

6.17 EOU/EPZ/EHTP/STP units may be set up with the approval of BOA to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in freely convertible foreign currency. Such units may import goods of any origin for export in freely convertible foreign exchange for the above activities. The provisions of paragraphs 6.8,6.9 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, and 6.15 of this Chapter shall not, however, apply to such activities.

Replacement/ Repair of imported/ indigenous

6.18 (a) The general provisions of the Policy relating to export of replacement/repaired goods would also apply equally to EOU/EPZ/EHTP/STP units, save that, cases not covered by these provisions shall be

goods considered on merits by the Development Commissioner.

(b) The goods sold in the DTA and found to be defective may be brought back for repair/ replacement under intimation to the concerned jurisdictional Customs/Excise authorities.

(c) Goods or parts thereof on being imported/ indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after import/ procurement may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers.

Bonding 6.19 The initial bonding period for units under the EOU/EHTP/STP Schemes shall be 5 years. This period may be extended further by the Development Commissioner concerned for period of 5 years at a time.

Debonding 6.20 (a) Subject to the approval of the Development Commissioner, EOU/EPZ/EHTP/STP units may be debonded. Such debonding shall be subject to payment of duties of Customs and Excise and the industrial policy in force at the time of debonding.

(b) If the unit has not achieved the obligations under the scheme, the debonding shall also be subject to penalty as may be imposed by the competent authority.

(c) In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) at the price to be determined by that agency.

(d) An EOU/EPZ/EHTP/STP unit may also be permitted by the Development Commissioner, as a one time option, to debond on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG

Scheme, subject to the unit satisfying the eligibility criteria under that Scheme and standard conditions, as per Appendix 14-J of the Handbook (Vol-I).

Conversion 6.21 (a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP unit, but no concession in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.

(b) The existing EHTP/STP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases the units will continue to remain in bond and avail the permissible exemption in duties and taxes as applicable under the relevant scheme.

Monitoring of NFEP/EP and maintenance of records 6.22 Net Foreign exchange Earning as a Percentage of exports (NFEP) shall be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of commercial production according to the formula given in the Handbook (Vol.1).

The performance of EOU/EPZ units will be monitored as per the Guidelines given in Appendix 14-E of Handbook (Vol.1).

Export through Exhibitions/ Export Promotion Tours/Export of branded jewellery/ Export through show rooms abroad/Duty Free Shops. 6.23 EOU/EPZ gem and jewellery units shall be entitled for the following:

(i) Export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, for holding/ participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.

(ii) Personal carriage of gold/ silver/ platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.

(iii) Export of jewellery and branded jewellery is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad.

(iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.

(v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports for sale of jewellery.

Personal carriage of Export/ Import parcel. 6.24 Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and personal carriage of gems and jewellery, import parcels by an Indian or foreign national may be permitted as per the conditions given in paragraph 6.24 of the Handbook (Vol.1).

Export by Post /Courier 6.25 Gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may be exported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier.

Development of Infrastructure in EPZs. 6.26 Development of infrastructure, including construction of Standard Design Factory Buildings in an EPZ may be undertaken through private/joint/State sector as per the guidelines given in Appendix-14 H of Handbook (Vol.I).

Administration of EOU/EPZ units. 6.27 Details of administration of EOU/EPZ units are given in Handbook (Vol.1).

Revival of Sick units 6.28 Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval.

Fast Track 6.29 A fast track procedure for EOU/EPZ units with actual investment in plant and machinery (both imported and indigenous) of Rs.5 crores and above, shall be provided as per the details given in Handbook (Vol.1).

Note: In the case of units under EHTP/STP Schemes, necessary approval / permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology for the purpose instead of the Development Commissioner of EPZ and by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.

CHAPTER-7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Eligibility

7.1 (a) Special Economic Zone (SEZ) is a specifically delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purposes of trade operations and duties and tariffs.

(b) Goods going into the SEZ area from DTA shall be treated as deemed exports and goods coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if the goods are being imported.

(c) SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services, production, processing, assembling, trading, repair, remaking, reconditioning, re-engineering including making of gold/ silver/platinum jewellery and articles thereof or in connection therewith.

Export and Import of Goods.

7.2 (a) SEZ units may export goods and services including agro-products, partly processed jewellery, sub-assemblies and component. It may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the production process.

SEZ units, other than trading/service unit, may also export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer, subject to RBI clearance, if any.

(b) SEZ unit may import without payment of duty all types of goods, including capital goods, as defined in the Policy, whether new or second hand, required by it for its activities or in connection therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC(HS). Goods shall include raw material for making capital goods for use within the unit. The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

(c) SEZ units may procure goods required by it without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy and from International Exhibitions held in India.

(d) SEZ may import, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for use by software development units in SEZ. The Central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.

(e) Gem & Jewellery and Jewellery units may also source gold/ silver/ platinum through the nominated agencies.

(f) SEZ units may also import/procure goods from DTA without payment of duty for setting up of units in the Zone.

Leasing Of Capital Goods

7.3 SEZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company. In such a case the SEZ unit and the domestic/ foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.

Net Foreign exchange Earning (NFE)

7.4 SEZ unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign exchange Earning (NFE) shall be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of commercial production according to the formula given in Paragraph 7.4 of the Handbook (Vol-I).

Monitoring of performance

7.5 (a) The performance of SEZ units shall be monitored by a committee comprising of Development Commissioner and Customs. The Committee shall be headed by the Development Commissioner. It will also see that the wastage/manufacturing loss on gold/ silver/platinum jewellery and articles are within the overall percentage prescribed in Appendix- 14 L of Handbook (Vol-I). In case of higher wastage/ manufacturing loss, the committee shall satisfy itself of the reasonableness of the same.

(b) The performance of SEZ units shall be monitored as per the guidelines given in Appendix-14 E of Handbook (Vol-I).

Legal Undertaking

7.6 The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to achieve positive foreign exchange earning it shall be liable to penalty in terms of the legal undertaking or under any other law for the time being in force.

Approvals and Applications

7.7 (a) Applications for setting up of SEZ units, satisfying the conditions mentioned in paragraph 7.19 of the Handbook (Vol.1) may be given approval by the concerned Development Commissioner of SEZ. In other cases, approval may be granted by the Board of Approvals (BOA) as notified and indicated at Appendix 14 –B of Hanbook (Vol-I).

(b) Proposal requiring industrial License may be considered by the Board of Approval on case to case basis.

DTA Sales and Supplies

7.8 (a) SEZ unit may sell goods, including by-products, and services in DTA in accordance with the import policy in force, on payment of applicable duty.

(b) DTA sale by service/trading unit shall be subject to achievement of positive NFE cumulatively. Similarly for units undertaking manufacturing and services/ trading activities against a single LOP, DTA sale shall be subject to achievement of NFE cumulatively.

(c) The following supplies effected in DTA by SEZ units will be counted for the purpose of fulfilment of positive NFE:

(i) Supplies effected in DTA in terms of Paragraph 8.3 of the Policy.

(ii) Supplies made to bonded warehouses set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act.

(iii) Supplies to other EOU/EPZ/SEZ/ EHTP/ STP units provided that such goods are permissible for procurement by units in terms of paragraph 7.2 of the Policy.

(iv) Supplies against special entitlement of duty free import of goods

(v) Supplies of goods to defence and internal security forces, foreign missions/diplomats provided they are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.

(vi) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.

(vii) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-I) items, provided that the items are manufactured in the unit and attract zero rate of basic customs duty.

Entitlement for Supplies from the DTA

7.9 (a) Supplies from the DTA to SEZ units shall be eligible for the following:

(I) DTA supplier shall be entitled for :-

(i) Relevant entitlements under paragraph 8.3 of the Policy.

(ii) Discharge of Export performance, if any, on the supplier.

(II) SEZ units shall be entitled for:-

(i) Reimbursement of Central Sales Tax;

(ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on all goods eligible for procurement as per paragraph 7.2 of the policy.

(iii) Reimbursement of Central Excise Duty, if any, paid on bulk tea procured by SEZ units so long as levy on bulk tea in this regard is in force.

(iv) Reimbursement of Duty paid on fuels or any other goods procured from DTA as per the rate of drawback notified by the Directorate General of Foreign Trade from the date of such notification.

(b) Supplier of cut and polish diamonds, precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from Domestic Tariff Area to the units situated in SEZ shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in Appendix-13 of the Handbook (Vol. I).

(c) The entitlements under paragraphs (I) and (II) (i) and (ii) above shall be available provided the goods supplied are manufactured in India.

Export Through Status Holder

7.10 SEZ unit may also export goods manufactured by it through a merchant exporter/ status holder recognized under this Policy or any other EOU/EPZ/SEZ/ EHTP/STP unit.

Inter-unit Transfer

7.11 (a) Transfer of manufactured goods, including partly processed/semi-finished goods from one SEZ unit to another SEZ/EOU/EPZ/ EHTP/STP unit will be allowed.

(b) Goods imported/procured by an SEZ unit may be transferred or given on loan to another unit within the same SEZ which shall be duly accounted for, but not counted towards discharge of export performance.

(c) Transfer of goods in terms of sub-paras (a) and (b) above within the same SEZ shall not require any permission but the units shall maintain proper accounts of the transaction.

(d) Capital goods imported/procured may be transferred or given on loan to another SEZ/EOU/ EPZ/ EHTP/ STP unit with prior permission of the Development Commissioner concerned.

Other Entitlements Other entitlements of SEZ units are indicated in the Handbook (Vol-1).

Sub-Contracting 7.12 (a) SEZ unit, may subcontract a part of their production or production process through units in the DTA or through other SEZ/EOU/EPZ/ EHTP/ STP, with the permission of Customs authorities. Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Board of Approval.

(b) Subcontracting by SEZ gems and jewellery units shall be subject to following conditions :-

i) Goods, finished or semi-finished, including studded jewellery, containing quantity and purity equal to the gold/ silver/platinum so taken out, shall be brought back to the Zone within 30 days. Further, no diamond, precious or semi-precious stones shall be allowed to be taken out of the Zone for sub-contracting.

ii) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA in exchange of equivalent quantity of gold/silver/ platinum, as the case may be, contained in the said jewellery.

iii) SEZ-units shall not be eligible for wastage or manufacturing loss against the jewellery received from DTA after processing as mentioned in (i) and against exchange of gold/silver/platinum as mentioned in (ii) above.

iv) The DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold/silver/platinum shall not be entitled to export benefits.

(c) All units, including gem and jewellery, may sub-contract part of the production or production process through other units in the same SEZ without permission of Customs authorities subject to records being maintained by both the supplying and receiving units.

(d) SEZ units other than gems and jewellery units may be allowed to undertake job-work for export, on behalf of DTA exporter, provided the finished goods are exported directly from SEZ units. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.

(e) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty or returned to the unit.

De-bonding 7.13 (a) SEZ unit may be debonded with the approval of the Development Commissioner. Such debonding shall be subject to payment of applicable Customs and Excise duties on the imported and indigenous capital goods, raw materials etc. and finished goods in stock. In case the unit has not achieved positive NFE, the debonding shall be subject to penalty, that may be imposed by the adjudicating authority under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

(b) SEZ unit may also be permitted by the Development Commissioner, as one time option, to debond on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme, subject to the unit satisfying the eligibility criteria of that Scheme and standard conditions, as per Para 7.13 of the Handbook (Vol-I).

Export through Exhibitions/ Export Promotion Tours/Export of branded jewellery/ Export through show rooms abroad /Duty Free Shops

7.14 SEZ gem and jewellery, units shall be entitled for the following:

(i) Export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, for holding/ participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.

(ii) Personal carriage of gold/ silver/ platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.

(iii) Export of jewellery and branded jewellery, is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad.

(iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.

(v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports for sale of jewellery.

Personal carriage of Export/ Import parcel.

7.15 Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and personal carriage gems and jewellery, import parcels by an Indian or foreign national may be permitted as per the conditions given in paragraph 7.15 of the Handbook (Vol.1).

Export by post / courier

7.16 Gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may be exported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier.

Disposal of Rejects/Scrap/ Waste/ Remnants

7.17 Rejects/scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA on payment of applicable duty. No duty shall be payable in case scrap/waste/ remnants/ rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the SEZ with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

Replacement/ Repair of Goods

7.18 (a) The general provisions of Policy relating to export of replacement/ repaired goods shall apply equally to SEZ units, save that, cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.

(b) The goods sold in the DTA and found to be defective may be brought back for repair/ replacement under intimation to Development Commissioner.

(c) Goods or parts thereof on being imported/ indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after import/ procurement may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorised agents in India or the indigenous suppliers.

(d) Goods may be transferred to DTA/abroad for repair/ replacement, testing or calibration, quality testing and R & D purpose under intimation tc Customs authorities.

Management of SEZ

7.19 (a) SEZ will be under the administrative control of the Development Commissioner.

(b) All activities in the zone of SEZ units, unless otherwise specified, shall be through self certification procedure.

Setting up of SEZ in Private/ joint/State Sector

7.20 A SEZ may be set up in the public, private, joint sector or by state Government as notified by the Ministry of Commerce and Industry. The existing Export Processing Zones (EPZs) may also be converted into SEZ by the Ministry of Commerce and Industry through issue of a notification.

Samples

7.21 SEZ units may, on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authorities:

(I) supply or sell samples in the DTA for display/market promotion on payment of applicable duties;

(II) Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing the goods back within a stipulated period;

(III) Samples, including samples made in wax models, silver models and rubber moulds may be exported on the basis of records maintained by the unit and under intimation to the Custom authorities. Samples may also be exported through courier agencies.

Sale of Un-utilised material/ obsolete goods

7.22 (a) In case an SEZ unit is unable, for valid reasons, to utilize the goods, including capital goods and spares, it may dispose them in the DTA in accordance with the import policy in force and on payment of applicable duties or export them.

(b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus may either be exported or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA.

(c) No duty shall be payable if the goods are destroyed with the permission of Customs authorities.

(d) SEZ unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported/ indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, key-board and storage units without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to recognized non-commercial educational institutions, registered charitable hospitals, public libraries, public funded research and development establishments, organisations of the Government of India or Government of a State or Union Territory as per Custom/ Central Excise notification issued in this regard.

Entitlement for SEZ Developer

7.23 (a) Developer of SEZ in the Private/Joint/State sector may import/ procure goods from DTA without payment of duty for the development, operation and maintenance of SEZ.

(b) SEZ developer shall be eligible for the entitlements as provided for in the Income Tax Act for development, operation and maintenance of SEZ.

Transitional Arrangements

7.24 An existing EPZ unit will have the following options:

(a) It can opt for SEZ Scheme under this Chapter. On conversion, its previous obligations as an EPZ unit shall be subsumed by its obligations under the SEZ Scheme. The raw materials, components, consumable and finished goods lying in stock with the unit at the time of conversion shall be taken as its opening balance under the SEZ Scheme. All unutilized DTA sale entitlements of the unit shall cease to exist from the date of conversion as notified by the Ministry of Commerce and Industry

(b) In case an existing EPZ unit decides not to opt for (a) above, it can either convert into an EOU or de-bond. In both the cases, the unit shall physically move out of the SEZ.

CHAPTER-8

DEEMED EXPORTS

Deemed Exports 8.1 'Deemed Exports" refers to those transactions in which the goods supplied do not leave the country.

Categories of Supply 8.2 The following categories of supply of goods by the main/ sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India:

(a) Supply of goods against Advance Licence/DFRC under the Duty Exemption /Remission Scheme;

(b) Supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or units located in Export Processing Zones (EPZs) or Special Economic Zone (SEZs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs);

(c) Supply of capital goods to holders of licences under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme;

(d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;

(e) Supply of capital goods, including in unassembled/ disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of 10% of the FOR value to fertiliser plants.

(f) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty coupled with the extension of benefits under this chapter to domestic supplies;

(g) Supply of goods to the power and refineries not covered in (f) above.

(h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers–manufacturers) provided the said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by the Customs; and

(I) Supply to projects funded by UN agencies.

(j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to international competitive bidding.

Benefits for Deemed Exports

8.3 Deemed exports shall be eligible for any/all of the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to the terms and conditions as given in Handbook (Vol.1):-

(a) Advance Licence for intermediate supply/ deemed export.

(b) Deemed Exports Drawback.

(c) Refund of Terminal Excise duty.

CHAPTER-9

DEFINITIONS

9.1 For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them.

9.2 "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

9.3 "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992).

9.4 "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

9.5 "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

9.6 "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in

(i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or

(ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or

(iii) any service industry.

9.7 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT.

9.8 "ALC" means the Advance Licensing Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending grant of licences under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by Director General of Foreign Trade.

1077/NF/2002—16

9.9 "Applicant" means the person on whose behalf the application is made and shall, wherever the context so requires, include the person signing the application.

9.10 "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in the services sector.

9.11 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.

9.12 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to the component.

9.13 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of the end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.

9.14 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.

9.15 "Counter Trade" means any arrangement under which exports/Imports from/ to India are balanced either by direct Imports/exports from the importing/ exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

9.16 "DFRC" means Duty Free Replenishment Certificate issued under Duty Remission Scheme.

9.17 "Drawback, " in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in the manufacture of such goods in India. The goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.

9.18 "EHTP " means Electronic Hardware Technology Park.

9.19 "EOU" means Export Oriented Unit.

9.20 "EPZ" means Export Processing Zone.

9.21 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act 1944 (1 of 1944).

9.22 "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.

9.23 "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

9.24 "Handbook (Vol.1)"means the Handbook of Procedures (Vol.1) and "Handbook (Vol.2)" means Handbook of Procedures (Vol.2) published under the provisions of the paragraph 2.4 of the Policy.

9.25 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.

9.26 "ITC(HS)" means ITC(HS) Classifications of Export and Import Items Book.

9.27 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for the aforesaid process.

9.28 "Licensing Authority" means the authority competent to grant a licence under the Act/Order.

9.29 "Licensing Year" means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

9.30 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, repacking, polishing and labeling. Manufacture, for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.

9.31 "Manufacturer Exporter" means a person who export goods manufactured by him or intends to export such goods.

9.32 "MAI" means Market Access Initiative

9.33 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.

9.34 "NFEP" means Net Foreign Exchange Earning as a percentage of exports.

9.35 "Notification" means a notification published in the Official Gazette.

9.36 "Order" means an Order made by the Central Government under the Act.

9.37 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component or an accessory.

9.38 "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.

9.39 "Policy" means the Export and Import Policy, 2002-07 as amended from time to time.

9.40 "Prescribed" means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.

9.41 "Public Notice" means a notice published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.

9.42 "Raw material" means:

(i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and

(ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.

9.43 "Regional Licensing Authority" means a licensing authority exercising powers in respect of any area or region specified in this behalf by the Director General of Foreign Trade.

9.44 "Registration-Cum-Membership Certificate" (RCMC) means the certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council or other competent authority as prescribed in the Policy or Handbook (Vol.1).

9.45 "Rules" means Rules made by the Central Government under Section 19 of the Act.

9.46 "Services" include all the tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.

9.47 "Service Provider" means a person providing

(I) Supply of a 'service' from India to any other country;

(ii) Supply of a 'service' from India to the service consumer of any other country in India; and

(iii) Supply of a 'service' from India through commercial or physical presence in the territory of any other country.

(iv) Supply of a 'service' in India relating to exports paid in free foreign exchange or for such services paid in Indian rupees, which are otherwise considered as free foreign exchange by RBI.

9.48 "SEZ" means Special Economic Zone notified by the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce.

9.49 "Ships" mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade and shall include second hand vessels.

9.50 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT in the Handbook (Vol.2), 2002-07.

9.51 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.

9.52 "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy.

9.53 "Status holder" means an exporter recognised as "Export House/Trading House/Star trading House/ Super Star Trading House" or service provider recognised as "Service Export House, International Service Export House, International Star Service Export House International Super Star Service Export House" by the Director General of Foreign Trade.

9.54 "STP" means Software Technology Park

9.55 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, shipping bills shall indicate the name of both the exporter/ manufacturer and exporter(s).

9.56 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2(36) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

APPENDIX - I

MINIMUM NFEP AND EP REQUIREMENT UNDER THE EOU/EPZ/EHTP/STP SCHEME (PARAGRAPH 6.5 OF THE POLICY).

Name of the sector			Minimum NFEP	Minimum EP for five years
A. MANUFACTURING/ PROCESSING SECTOR ▭				
1.		Units with actual investment in plant and machinery, both imported and indigenous of Rs.5 crore and above.	Positive	US $ 3.5 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods whichever is higher.
2.		Electronics Hardware	Positive	US $ 1.00 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods whichever is higher.
3.	(a)	Agriculture, aquaculture, animal husbandry, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture	Positive	-do-
	(b)	EOU in Agricultural Export Zones.	Positive	US $ 0.25 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher
	(c)	Floriculture	-do-	-do-
	(d)	Food processing	-do-	-do-
	(e)	Biotechnology	-do-	US $ 0.50 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher
4.		Toys all kind	-do-	US $ 0.50 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher

5.	Computer software and IT enabled Services	10%	US $ 0.25 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher -
6.	GEM AND JEWELLERY		
	Gold/Platinum/Silver		
(a)	Gold/ platinum/ silver unstudded chains and bangles or combination there of manufactured by fully mechanised process.	3%	US $ 1 Million or 3 times the CIF value of Imported capital goods, whichever is higher.
(b)	Gold/Silver/Platinum medallions, coins (excluding the coins of the nature of legal tender) and other articles.	3%	-do-
(c)	Gold/siliver/Platinum findings, moundings manufactured by mechanised process.	3%	-do-
(d)	Plain gold/ platinum/ silver jewellery and articles or combination thereof and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads, imitation stones, cubic zirconia etc. only but excluding diamonds, precious & semi-precious stones.	7%	-do-
(e)	Repair/remake of plain Gold/ platinum/ silver jewellery	7%	-do-
(f)	Studded gold/platinum/ silver jewellery and articles thereof or combination thereof.	10% on gold/ silver/platinum content plus 5% over the value of studdings.	-do-
(g)	Repair/remake of gold/ platinum/ silver studded jewellery	10%	-do-

DIAMOND

(h)	Cut and polished diamonds (with per carat realization of more than US$ 575 FOB	7%	US $ 1 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher.
(i)	(i) Cut and polished diamonds (with per carat realization of more than US $ 400 and upto US $ 575 FOB)	15%	-do-
(j)	Cut and polished diamonds (with per carat realization of more than US $ US $ 260 FOB and upto US $ 400 FOB)	20%	-do-
(k)	Cut and polished diamonds (with per carat realization of more than US $ 125 upto US $ 260 FOB).	25%	-do-
7.	SERVICES		
	(Other than IT enable services)	10%	US $ 0.50 Million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher
8.	ALL OTHERS	10%	US $ 1 million or 3 times the CIF value of imported capital goods, whichever is higher.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054